

महालेखापरीक्षकको
वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
२०७८
उदयपुरगढी गाउँपालिका,
उदयपुर



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General
प्रदेशिक लेखापरीक्षा निर्देशनालय
प्रदेशिक लेखापरीक्षा निर्देशनालय
नेपाल
२०१६

Phone : 4258174
4266034
4255707
A.G.Fax : 977-1-4268309
Fax : 977-1-4262798
Post Box : 13328
बबरमहल, काठमाण्डौं, नेपाल
Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

पत्र संख्या: २०७८/७९

च.नं. २२२

मिति: २०७८/५/४

श्री अध्यक्ष ज्यू,
उदयपुरगढी गाउँपालिका,
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,
उदयपुर।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।


नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस कार्यपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रयोजनको लागि अनुरोध छ ।

(नेत्र कुमार खत्री)

नायव महालेखापरीक्षक

महालेखापरीक्षकको भनाई

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह का सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ ।



स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र निकायसँग सम्बन्धित ऐन, नियमको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्यहरूमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु रहेको छ । त्यसैगरी स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चात जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रियाका विषयहरू मिलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सहितको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहमा रहेको सीमित स्रोत साधनको उपयोग गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा मितव्ययीता, दक्षता र प्रभावकारीता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । फलस्वरूप स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता र पारदर्शीता प्रवर्द्धन हुने विश्वास लिइएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट मूलतः आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आय ठेक्का व्यवस्थापनमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको, आय सङ्कलन न्यून रहेको, पर्याप्त आधार बेगर राजस्व छुट दिएको, बक्यौता असुलीमा प्रभावकारीता नआएको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने गरेको, वर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, खरिद कानून विपरीत सोझै खरिद गरेको, अत्यधिक प्रशासनिक खर्च गरेको, बचत अनुदान फिर्ता नगरेको, वितरणमुखी खर्चको बाहुल्यता रहेको जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माणतर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, साना तथा टुक्रे आयोजनाको छनौट गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, तोकिएबमोजिम जनसहभागिता नजुटेको, दीगो विकासका लक्ष्य अनुरूप योजना र कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको, दीर्घकालीन विकासको खाका तर्जुमा नभएको जस्ता समस्या रहेका छन् ।

स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ आवश्यक अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको, कर्मचारी नियुक्ती तथा बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिएको, सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख नरहेको, सञ्चालित योजना, कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, बैंक हिसाब विवरण तयार गर्ने नगरेको, लेखाङ्कन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्तरिक लेखापरीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा लेखा समितिको गठन, कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फछ्यौँट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू सुधार गरी गत विगतका बेरुजू उपर अपेक्षितरूपमा आवश्यक कारवाही भए गरेको समेत देखिएन ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको बावजुद यथासम्भव स्थानीय तहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण गरिएको थियो । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय तह का प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको थियो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तह को वित्तीय व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

(टंकमणि शर्मा, दंगाल)

महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General
प्रदेशिक लेखापरीक्षा महानिदेशनालय
प्रदेश नं. १ र २
नेपाल
२०१६

Phone : 4258174
4266034
4255707
A.G.Fax : 977-1-4268309
Fax : 977-1-4262798
Post Box : 13328
बबरमहल, काठमाण्डौं, नेपाल
Babar Mahal, Kathmandu,
Nepal

(प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. २ लेखापरीक्षण महानिदेशनालय)

पत्र संख्या: २०७८/७९

च.नं.: २२१

मिति: २०७८।५।४

श्री अध्यक्षज्यू,
उदयपुरगढी गाँउपालिका,
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,
उदयपुर ।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

कैफियत सहितको राय

हामीले उदयपुरगढी गाँउपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित आयव्यय विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं । हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित आयव्यय विवरणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून र परम्परा बमोजिम सारभूत रूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार

१. लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरूका सम्बन्धमा मिति २०७७।१२।३१ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रिया सहितका प्रमाण कागजातका आधारमा फछ्यौट भएका दफाहरू हटाई कायम व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २७ यसैसाथ संलग्न छ ।
२. लेखापरीक्षणबाट रु. ९८ लाख ४ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु. १० लाख १८ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु. १७ लाख ३९ हजार, नियमित गर्नु पर्ने रु. ६९ लाख ३३ हजार र पेशकी बाँकी १ लाख १४ हजार रहेको छ ।
३. आम्दानी तथा खर्चको सेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेशकी बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।


हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसका लागि स्वीकृत आचारसंहिता अनुसार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकृतको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्तीका कारण वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्यपालिका, अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रकृत्याको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्ती समेतका कारण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित रहेको होस् भनी उचित आश्रस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्रस्तताले सामान्य स्तरको आश्रस्ततासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गर्ने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्ती पत्ता लगाउने सक्ने निश्चितता भने हुँदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्तीलाई सारभूत रूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।


(नेत्र कुमार खत्री)

नायब महालेखापरीक्षक

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np, Info@oag.gov.np website : www.oagnep.gov.np

“जनहितका लागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धनमा विश्वसनीय लेखापरीक्षण संस्था”

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

२०७६।७७

परिचय – स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यस गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो। स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु गाउँपालिकाको उद्देश्य रहेको छ। यस गाउँपालिका अन्तर्गत ८ वडा, ४२ सभा सदस्य, २४१.८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा ३०७८० जनसंख्या रहेको छ ।

स्थानीय सञ्चित कोष – आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को स्थानीय सञ्चित कोष आय व्यय हिसाबको संक्षिप्त अवस्था निम्न बमोजिम रहेको छ ।

पालिकालाई एकिकृत वार्षिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या २०७४ स्वीकृत भएको नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (NPSAS) बमोजिमका फारामहरु सहितको प्राप्ति र भुक्तानीको एकिकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म ले प फा नं २७२) अनुसार पालिकाको यस वर्षको आय व्यय विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

आर्थिक कारोबारको स्थिति

| विवरण | टिप्पणी | यस वर्ष रु. | | | | गतवर्ष रु. | | |
|---|---------|-------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|-------|
| | | बजेट | आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी | वस्तुगत/सोझै भुक्तानी | जम्मा | आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी | वस्तुगत/सोझै भुक्तानी | जम्मा |
| प्राप्ति (क+ख) | | ५८३९३७४२८ | ५७०२३८५१५.४ | १५३२४८३७ | ५८५५६३३५२.४ | | | |
| क. प्राप्ति (सञ्चितकोषमा आम्दानी बाँधिने) | | ४७९६३६४२८ | ४६१७८१२२९.९ | १५३२४८३७ | ४७७१०६०६६.९ | ० | ० | ० |
| ११००० कर | 11 | १०९५८७००० | ९०६३०७६१.९३ | ० | ९०६३०७६१.९३ | ० | ० | ० |
| १३००० अनुदान | | ३६८१८५२३७ | ३६९०७४१९९ | १५३२४८३७ | ३८४३९९०३६ | ० | ० | ० |
| संघीय सरकार | 12 | ३६०९४२२३७ | ३२७२८८९३० | १५३२४८३७ | ३४२६१३७७७ | ० | ० | ० |
| प्रदेश सरकार | 12 | ७२४३००० | ३९७०९००० | ० | ३९७०९००० | ० | ० | ० |
| अन्तरिक श्रोत | | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| १४००० अन्य राजस्व | | १८६४१९१ | २०७६२६९ | ० | २०७६२६९ | ० | ० | ० |
| ३३००० दायित्व | | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ख. अन्य प्राप्ति | | १०४३०१००० | १०८४५७२८५.५ | ० | १०८४५७२८५.५ | | | |
| वितरण गर्न बाकी राजस्व | | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकोप व्यवस्थापन कोषहरु | 15 | १०९८५००० | १०९८५००० | ० | १०९८५००० | ० | ० | ० |
| धरौटी | 15 | ० | १५१५८७२.३९ | ० | १५१५८७२.३९ | ० | ० | ० |
| संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम(को ले नि का बाट निकाशा भएका रकम) | 16 | ९३३९६००० | ९५९५६४१३.१ | ० | ९५९५६४१३.१ | | | |
| भुक्तानी (ग+घ) | | ६६७५७४४०० | ५८६०६९३५.५ | ९९५५४५८ | ५९६०२४८१३ | | | |
| ग. भुक्तानी (सञ्चित कोषबाट) | | ५६२५०११९१ | ४७८५१०१९१.९ | ९९५५४५८ | ४८८४६५६४९.९ | ० | | |
| २१००० पारिश्रमिक / सुविधा | 18 | १६५१०१००० | १४२७७८४७४.९ | ० | १४२७७८४७४.९ | ० | ० | ० |
| २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग | 18 | १८५३३९८९१ | १३१७७३९६१ | ५२८१८०९ | १३७०५५७७० | ० | ० | ० |
| २५००० सहायता (Subsidy) | 18 | १७०००० | १५०००० | ० | १५०००० | ० | ० | ० |
| २६००० अनुदान | 18 | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २७००० सामाजिक सुरक्षा | 18 | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २८००० अन्य खर्च | 18 | २६५०००० | २३३५६०३ | ० | २३३५६०३ | ० | ० | ० |

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------|------------------|---------|--------------|---|---|---|
| ३१००० गैर वित्तीय सम्पत्ती / पूँजीगत खर्च | 18 | २०१२४८३०० | २०१७७८९,७५.७ | ४६७३६४९ | २०६४५२६२४.७ | ० | ० | 0 |
| कर कट्टी दाखिला गर्न बाकी | | | -३०६८२२.७२ | | -३०६८२२.७२ | ० | ० | 0 |
| घ. अन्य भूक्तानी | | १०५०७३२०९ | १०७५५९१६३.१ | ० | १०७५५९१६३.१ | | | |
| प्रकाप व्यावस्थापन कोषहरु | | १०९८५००० | १०९२०६६३ | ० | १०९२०६६३ | ० | ० | 0 |
| धरोटी | | ० | ९१७६९५ | ० | ९१७६९५ | ० | ० | 0 |
| संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम(को ले नि का बाट निकाशा भएका रकम) | | ९३३१६००० | ९५१८४२०४.१ | | ९५१८४२०४.१ | | | |
| सडक बोर्ड बाट प्राप्त | | ७७२२०९ | ७७२००० | ० | ७७२००० | | | |
| कट्टी रकम भुक्तानी/दाखिला गर्न बाकी | | | -२३५३९९ | | -२३५३९९ | | | |
| धरोटी खातामा आम्दानी बाछन बाकी | | | ० | | | | | |
| प्रदेश सरकार अनुदान फिर्ता गर्न बाकी रकम | | | | | | | | |
| ड. यो वर्षको बचत (न्युन) | | | - १५८३०८३९.५८ | ५३६९३७९ | -१०४६१४६०.५८ | | | |
| च. गतवर्षको जिम्मेवारी रकम (अ.ल्या) | | | १०३६४३३४५.८ | | १०३६४३३४५.८ | | | |
| वर्षान्तको बाकी रकम (ड + च) | | ० | ८७८१२५०६.२६ | ५३६९३७९ | ९३१८१८८५.२६ | | | |
| बैंक तथा नगद बाकी | 24 | | ८७८१२५०६.२६ | | ९३१८१८८५.२६ | | | 0 |

| दफा | लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | बेरुजु रकम | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-------------------|-----|------------|---|------------------|--------|-------------------|--|
| | लेखापरीक्षण को दौरानमा देहाय बमोजिम असुली भएको भौचर पेश भएको छ । | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि. नं.</th> <th>व्यहोरा</th> <th>रकम</th> <th>सञ्चित कोष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>गत वर्षको फिर्ता</td> <td>५०००००</td> <td>प्रदेश सञ्चित कोष</td> </tr> </tbody> </table> | सि. नं. | व्यहोरा | रकम | सञ्चित कोष | १ | गत वर्षको फिर्ता | ५००००० | प्रदेश सञ्चित कोष | |
| सि. नं. | व्यहोरा | रकम | सञ्चित कोष | | | | | | | |
| १ | गत वर्षको फिर्ता | ५००००० | प्रदेश सञ्चित कोष | | | | | | | |
| | लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी भए पश्चात रु. ४५४७५ असुल भई विभिन्न सञ्चित कोषमा दाखिला भएको छ । | | | | | | | | | |
| | वित्तीय विवरण विश्लेषण | | | | | | | | | |
| १. | <p>वित्तीय विवरण – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्षको साउन एक गतेदेखि आगामी वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गरी आय र व्ययको हिसाव राख्नुपर्दछ। सोही ऐनको दफा ६९ मा तोकिए अनुसार गाउँपालिकाले आफ्नो आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय बमोजिम छन्</p> <ul style="list-style-type: none"> स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा गत विगतको बाँकी यस वर्ष प्राप्त रकम र सञ्चित कोषबाट भएको खर्च स्पष्ट देखिने गरी खाता राखेको छैन । लेखापरीक्षणका क्रममा बैंक नगदी किताब तथा पेशकी खाता अद्यावधिक नरहेको कारण स्थानीय तहले पेश गरेको आय-व्यय विवरण यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था छैन । कतिपय सम्बन्धित आर्थिक कारोबारहरूको गोश्वरा भौचर बजेट शिर्षकगत बैंक नगदी किताबमा नजनाएकाले श्रेस्ता अनुसार बैंक मौज्जात ऋणात्मक रहेको तथा स्थानीय तहका सबै खाताहरूको एकमुष्ट हिसाव गर्दा मौज्जात ऋणात्मक पाइयो । <p>त्यसैले तोके बमोजिमका वित्तीय विवरण तथा खाताहरू अद्यावधिक गरी आय र व्ययको वास्तविक स्थिति देखिने गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | |
| २. | <p>आर्थिक कारोबार – यस पालिकामा यस वर्ष रु.५८५५६३३५२ आय भएकोमा २०७७ असार मसान्त सम्म रु ५९६०२४८९३ खर्च भई रु.१०४६१४६०ऋणात्मक मौज्जात रहेको छ। गत वर्षको मौज्जात समेत बर्षान्तमा सञ्चित कोष र अन्य कोष रु.९३१८१८२२ मौज्जात रहेको देखियो ।</p> | | | | | | | | | |
| ३. | <p>आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नुपर्नेमा लागु गरेको पाईएन। यस सम्बन्धमा देखिएका अन्य व्यहोराहरू तपशिल बमोजिम रहेका छन् ।</p> <ul style="list-style-type: none"> आन्तरीक लेखापरीक्षण गराएको देखिएन । आर्थिक सहायता र औषधी उपचारको रकम वितरण गर्दा सो सम्बन्धि कार्यविधि बनाएर मात्र गर्नु पर्नेमा गरेको देखिएन । वडाहरू र पालिका एकै प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा (विउ विजन खरीद, औषधी खरीद, कृषि सामान खरिद ,पशु खरीद सोलार खरिद, फर्निचर खरिद र भौतिक निर्माणसमेत) विभिन्न अनुगमनकारी निकायका निर्देशन परिपत्र र प्रतिवेदन अनुसार एकीकृत प्याकेज बनाई मितव्ययी, प्रतिस्पर्धी र दक्षतापूर्ण ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम गरेको देखिएन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत | | | | | | | | | |

तथ्यांक संकलन, अभिलेखाङ्कन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सो गरेको पाईएन ।

- पालिकाले एक आर्थिक वर्षको अन्त्य भित्र भएको आफ्नो आर्थिक कारोवारको अनुसूची १४ बमोजिम ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन ।
- पालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन। साथै पालिकाबाट यस वर्ष सञ्चालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार गरेको पाईएन ।
- कार्यालयको श्रेष्ठा र वैक विचको हिसाव फरक परे वा नपरेको सम्बन्धमा वैक हिसाव मिलान विवरण तयार नगरेको कारण हिसाव मिलान भए नभएको सम्बन्धमा एकिन गर्न सकिएन ।
- अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिमको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिम मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाईएन ।
- स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशः स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहने व्यवस्था गरेकोमा पालिकाले उक्त समिति गठन गरेको पाईएन ।
- विषयगत क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठीतर्फ बढी केन्द्रित भई वितरणमुखि रहेको पाईयो ।
- पालिकाले जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अध्यावधिक नगरी वडा कार्यालय तथा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको पाईयो
- वडा कार्यालयमा रहेका जिन्सी समान सहितको अभिलेख देखिने गरी पालिकाको मूल जिन्सी खाता अध्यावधिक गरेको पाईएन ।
- जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नु पर्नेमा गरेको पाईएन ।
- मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम ६ (क) मा ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिई आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र दिइएको तथा इ टीडिएस गरेको देखिएन ।
- कार्यालयले उद्देश्य प्राप्तिसमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरु पहिचान गरी निराकरणको प्रयास गरेको अभिलेख नराखेको पाइयो ।
- कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरुमा सिलसिलेवार नम्वर राखि कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा से अनुसार गरेको पाईएन ।
- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिदको गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाईएन ।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १३ बमोजिम आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगावै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण सामग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्य महशुलको स्थानीय न्युनतम दररेट तोक्नु पर्नेमा तोकेको पाईएन ।
- ठेक्काहरुको विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का खाता र कन्टिन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन ।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली

| | | |
|----|--|--|
| | <p>वनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन । • संस्था दर्ता ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार पालिकाबाट सञ्चालन भएका विभिन्न योजना निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु सो ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता गरेको पाईएन । • सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय-व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा अधिकांशतः पालना भएको पाईएन । • वातावरण संरक्षणको एकीकृत दीर्घकालीन योजना तयार गरेको देखिएन । • पालिकाको विकास निर्माण व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव रहेको पाईयो । • सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०६५ अनुसार नागरिक वडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरुको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाईएन । • निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कार्य विवरण वनाई लागु गरेको पाईएन । • पालिकाले विद्यालयमा रकम निकास गदा विद्यालयगत निकास प्रष्ट देखिने गरी खाता राखेको देखिएन • मन्त्रालयको मिति २०७३।१२।२५ को परिपत्र अनुसार यस पालिकामा समाहित भएका साविकका गाँउ विकास समिति को नाममा रहेका पेशकी तथा वेरुजुको लगत तयार गरेको पाईएन । • कार्यालयले निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तलब भत्ता भुक्तानी दिनु पर्नेमा सो गरेको देखिएन <p>तसर्थ पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिए बमोजिम प्रभावकारी र विश्वाशनीय वनाई सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।</p> | |
| ४. | <p>बजेट पेश, पारित र अख्तियारी - स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र पेश गर्ने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष श्री सानु कुमारी राउतले मिति २०७६।४।११ गते रु. ५६३६४८००० को बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०७६।४।११ मा पारित भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुखले २०७६।४।१६ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र व्ययको अनुमान पेश गरी पारित गर्ने र अख्तियारी दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | |

| ५. | <p>चौमासिक पुँजीगत खर्च - आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रममा नियम २५ बमोजिम चौमासिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्ने र चौमासिक कार्यलक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्यसम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार चौमासिक पुँजीगत खर्चको स्थिति देहाय बमोजिम छ। वर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरूप अषाढमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।</p> <table border="1" data-bbox="245 421 1347 636"> <thead> <tr> <th rowspan="2">कुल खर्च</th> <th colspan="4">चौमासिक खर्च</th> </tr> <tr> <th>प्रथम चौमासिक</th> <th>दोस्रो चौमासिक</th> <th>तेस्रो चौमासिक</th> <th>अषाढ महिना</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२०२२१६६८३</td> <td>२८१६६७५८</td> <td>४१११६२३९</td> <td>१३२९३३६८६</td> <td>७८४७०९३८</td> </tr> <tr> <td>१०० प्रतिशत</td> <td>१४ प्रतिशत</td> <td>२० प्रतिशत</td> <td>६६ प्रतिशत</td> <td>३९ प्रतिशत</td> </tr> </tbody> </table> | कुल खर्च | चौमासिक खर्च | | | | प्रथम चौमासिक | दोस्रो चौमासिक | तेस्रो चौमासिक | अषाढ महिना | २०२२१६६८३ | २८१६६७५८ | ४१११६२३९ | १३२९३३६८६ | ७८४७०९३८ | १०० प्रतिशत | १४ प्रतिशत | २० प्रतिशत | ६६ प्रतिशत | ३९ प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|---------------|--------------------|----------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|----------|----------------|------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|--------|----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|-------|--|
| कुल खर्च | चौमासिक खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | प्रथम चौमासिक | दोस्रो चौमासिक | तेस्रो चौमासिक | अषाढ महिना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २०२२१६६८३ | २८१६६७५८ | ४१११६२३९ | १३२९३३६८६ | ७८४७०९३८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १०० प्रतिशत | १४ प्रतिशत | २० प्रतिशत | ६६ प्रतिशत | ३९ प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६. | <p>खरिद योजना — सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ बमोजिम सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिम खरिदको गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले सो अनुरूप खरिद योजना तयार नगरी रु.२०२२१६६८३ खर्च गरेको छ। अतः ऐन तथा नियमावलीमा तोकिए बमोजिम गुरु योजना तथा वार्षिक खरिद योजना बनाउने र सो बमोजिम खरिद व्यवस्थापन गर्नेतर्फ कार्यालयले ध्यान दिनुपर्दछ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७. | <p>खरिद सम्झौता — आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २०(३) अनुसार प्रथम चौमासिक अवधिमा ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा देहाय अनुसार तेश्रो चौमासिकमा २७६ वटा कामको रु. १०१५१२२५६ को ठेक्का सम्झौता गरेको र अषाढमा समेत १२६ वटा कामको रु.४०३४०४४७ खर्च गरेको पाइयो। कानूनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना भएको नदेखिएकोले कानूनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना गर्नेतर्फ गाउँपालिका व्यवस्थापन विशेष सर्तक रहनु पर्दछ । रु. हजारमा</p> <table border="1" data-bbox="264 1173 1327 1397"> <thead> <tr> <th colspan="10">खरिद सम्झौता</th> </tr> <tr> <th colspan="2">जम्मा</th> <th colspan="2">प्रथम चौमासिक</th> <th colspan="2">दोस्रो चौमासिक</th> <th colspan="2">तेस्रो चौमासिक</th> <th colspan="2">अषाढ महिनाको मात्र</th> </tr> <tr> <th>संख्या</th> <th>रकम</th> <th>संख्या</th> <th>रकम</th> <th>संख्या</th> <th>रकम</th> <th>संख्या</th> <th>रकम</th> <th>संख्या</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>४००</td> <td>१७५७२९</td> <td>१५</td> <td>२७७३६</td> <td>१०९</td> <td>४६४००</td> <td>२७६</td> <td>१०१५१२</td> <td>१२६</td> <td>४०३४०</td> </tr> </tbody> </table> | खरिद सम्झौता | | | | | | | | | | जम्मा | | प्रथम चौमासिक | | दोस्रो चौमासिक | | तेस्रो चौमासिक | | अषाढ महिनाको मात्र | | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | ४०० | १७५७२९ | १५ | २७७३६ | १०९ | ४६४०० | २७६ | १०१५१२ | १२६ | ४०३४० | |
| खरिद सम्झौता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | प्रथम चौमासिक | | दोस्रो चौमासिक | | तेस्रो चौमासिक | | अषाढ महिनाको मात्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४०० | १७५७२९ | १५ | २७७३६ | १०९ | ४६४०० | २७६ | १०१५१२ | १२६ | ४०३४० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८. | <p>आन्तरिक ऋण — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम गाउँपालिकाले वित्त आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित सभावाट स्वीकृत गरी उत्पादनशील, रोजगारमूलक, आन्तरिक आयवृद्धि तथा पुँजीगत कार्यका लागि आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । यस गाउँपालिकाले यो वर्ष आन्तरिक ऋण लिएको देखिएन ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९. | <p>योजना छनौट — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ को उपदफा ४ अनुसार पालिकाहरूले आवधिक वार्षिक रणनीतिगत विषयको योजना बनाउदा मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै सोही ऐनको दफा २४ को उपदफा १० अनुसार पालिकाले स्थानीयस्तरका विकास आयोजनाको आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य गर्न सक्नेछ व्यवस्था रहेको छ। तर पालिकाले २५४ वटा सानो प्रकृतिका रु. ५००००० भन्दा घटीका आयोजनाहरू अध्ययन अनुसन्धान र प्रभाव मूल्याङ्कन बेगर रु. ५४०८८००० को छनौट तथा कार्यान्वयन गरेको देखियो। साना साना योजना बडावाट छनौट गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेकोले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाइ मध्यम र ठुला आयोजनाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| १०. | <p>उपभोक्ता समितिको श्रेस्ता अनुगमन - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उल्लेख भए बमोजिम कार्यक्रमको लेखा दुरुस्त राख्ने दायित्व सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका प्रमुख, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिवको हुने, लेखा दुरुस्त नराखेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने एवं भए गरेको कामलाई नगरेको तथा नगरेको कामलाई गरेको सिफारिस गर्ने, नापजाँच प्राविधिक सुपरिवेक्षण गर्ने र अन्तिम मूल्यांकन गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ। उपभोक्ता समितिले राखेको लेखाको सम्बन्धमा अनुगमन गरेको देखिएन। उपभोक्ता समिति मार्फत भुक्तानी गर्दा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम श्रोतमा अग्रिम आयकर कट्टी गर्नुपर्ने, स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र भएकसँग खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना भएको छैन। उपभोक्ता समितिबाट खरिद गरिएका विभिन्न जिन्सी, निर्माण सामग्री र हेभी मेशिनको भुक्तानीमा अग्रिम आयकर कट्टी गरेको समेत देखिएन। उपभोक्ता समितिले लेखा नराख्ने, कार्यालयबाट अनुगमन नहुने अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार लाग्ने आयकर तथा भुक्तानीमा असुली गरिने कर रकम निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताबाट छली हुन सक्ने भएकोले अनुगमन गर्नुपर्दछ ।</p> | |
| ११. | <p>नक्सा पास - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७(१) अनुसार कसैले पनि गाउँपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने व्यवस्था छ। तर यो वर्ष गाउँपालिकामा नक्सा पास सम्बन्धि काम कारबाही भएको छैन। त्यसैले तोके बमोजिम संरचना निर्माण गर्नु पूर्व गाउँपालिकाबाट नक्सा पास गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | |
| १२. | <p>प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी व्यवस्थापन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यबोर्ड, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार र स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थानीय तहमा संगठन संरचना कायम हुने व्यवस्था छ। पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ११० दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ९७ जना पदपूर्ति भएको देखिन्छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार कार्य व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका प्रशासकीय अधिकृत सहित १७ पदहरू रिक्त रहेका छन्। दरबन्दी बमोजिम जनशक्तिको पूर्णता नहुँदा विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र कार्य सम्पादनमा असर परेको स्थिति छ । तसर्थ रिक्त पदहरू यथाशक्य छिटो पूर्ति गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।</p> | |
| १३. | <p>स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख - स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको आधारभूत तथ्यांक संकलन, अभिलेख र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले स्थानीय तथ्यांक सम्बन्धि नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको देखिएन। स्थानीय तहका हरेक प्राथमिकीकरणका क्रियाकलाप सञ्चालनमा तथ्यांकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अभिलेख राख्ने कार्यमा भूमिका अगाडि वढाउन आवश्यक छ। तथ्यांक बेगर प्राथमिकतामा राखिएका योजना, बजेट, प्रक्रिया र कार्यान्वयनले उचित सार्थकता नपाउने हुँदा यस तर्फ गाउँपालिकाले अभिलेख व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।</p> | |
| १४. | <p>कल्याण कोष - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले यस वर्ष वित्तीय समानीकरणबाट कर्मचारी कल्याण कोषमा ट्रान्सफर गरेको छैन ।</p> | |
| १५. | <p>कानून र सञ्चालन स्थिति - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ। जसअनुसार स्थानीय तह सञ्चालनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ३० नमूना कानूनहरू बनाई उपलब्ध गराएकोमा यस पालिकाले हालसम्म ६ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली, लगायत २८ जटा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा</p> | |

| | ल्याएको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|-----|---------|---------|--|-----|-----|---|--------------------|------|------|--|
| १६. | <p>नाफामूलक संस्थालाई अनुदान - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ। जसबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्दैन। तर पालिकाले देहायको नाफामूलक संस्थाहरूलाई विभिन्न प्रयोजनको लागी अनुदान उपलब्ध गराएको अनियमित देखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ. नं. र मिति</th> <th>संस्थाको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१२९।०७७।१।३० समानिकरण पुँजीगत</td> <td>पौवा लघु उद्यमी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि</td> <td>१००००००</td> </tr> <tr> <td>३५७।०७७।३।२४ समानिकरण पुँजीगत</td> <td>महाभारत जडिबुटी सहकारी संस्था लिमिटेड</td> <td>११०००००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>२१०००००</td> </tr> </tbody> </table> | भौ. नं. र मिति | संस्थाको नाम | रकम | १२९।०७७।१।३० समानिकरण पुँजीगत | पौवा लघु उद्यमी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | १०००००० | ३५७।०७७।३।२४ समानिकरण पुँजीगत | महाभारत जडिबुटी सहकारी संस्था लिमिटेड | ११००००० | जम्मा | | २१००००० | २१००००० | | | | | | | | |
| भौ. नं. र मिति | संस्थाको नाम | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२९।०७७।१।३० समानिकरण पुँजीगत | पौवा लघु उद्यमी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | १०००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३५७।०७७।३।२४ समानिकरण पुँजीगत | महाभारत जडिबुटी सहकारी संस्था लिमिटेड | ११००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | २१००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७. | <p>न्यायिक समिति - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा परेको उजुरी मध्ये मेलमिलाप प्रकृतिका आधारमा विवाद दर्ता भएको ३ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ। तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार यो वर्ष थप ७ विवाद दर्ता भएकोमा ६ वटा मात्र फछ्यौट भई १ वटा बाँकी देखिन्छ। न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई ऐनले तोकेको म्यादभित्र फछ्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपर्दछ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १८. | <p>व्यवसाय कर - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिबाट व्यवसाय कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस वर्ष गाउँपालिकाले व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण शुल्क वापत कुनै कर संकलन गरेको देखिएन । तसर्थ पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण व्यवसायीको अद्यावधिक अभिलेख राखी करको दायराभित्र ल्याउनु पर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १९. | <p>राजश्व कारोबारको लेखा — आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम नियम ९२(१) मा प्रत्येक कार्यालयले राजश्वको लेखा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। कार्यालयले राजश्व आम्दानी तर्फ म.ले.प.फा.नं. १०३ र १०८ प्रयोग नगरी आम्दानी गरेको छ। नियमावलीको व्यवस्था अनुसार म.ले.प.फा.नं. १०३ र म.ले.प.फा.नं. १०८ राखी राजश्व असुली लेखा व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। साथै असुली रकम असुल भएको भोलिपल्ट दाखिला गर्नुपर्नेमा वडा कार्यालयले मासिक/त्रैमासिक रूपमा दाखिला गर्ने गरेको देखियो। असुली रकम नियमानुसार समयमै दाखिला गर्नुपर्दछ। आम्दानी जस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर भई अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने दैनिक आम्दानी एवं बैङ्क दाखिला खाताहरूको प्रयोग गरी आन्तरिक आयलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने देखिन्छ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २०. | <p>सेवा प्रवाह - गाँउपालिकाले पेश गरेको सेवा प्रवाह सम्बन्धि विवरण देहाय अनुसार रहेको छ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>सेवा प्राप्तिका लागि निवेदन संख्या</th> <th>सिफारिस संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>नागरिकता सिफारिस</td> <td>९७२</td> <td>९७२</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>घरबाटो सिफारिस</td> <td>४८७</td> <td>४८७</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>नाता <input type="checkbox"/> प्रमाणित</td> <td>५५४</td> <td>५५४</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>जन्म, मृत्यु दर्ता</td> <td>२३०५</td> <td>२३०५</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.सं. | विवरण | सेवा प्राप्तिका लागि निवेदन संख्या | सिफारिस संख्या | १ | नागरिकता सिफारिस | ९७२ | ९७२ | २ | घरबाटो सिफारिस | ४८७ | ४८७ | ३ | नाता <input type="checkbox"/> प्रमाणित | ५५४ | ५५४ | ४ | जन्म, मृत्यु दर्ता | २३०५ | २३०५ | |
| क्र.सं. | विवरण | सेवा प्राप्तिका लागि निवेदन संख्या | सिफारिस संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | नागरिकता सिफारिस | ९७२ | ९७२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | घरबाटो सिफारिस | ४८७ | ४८७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | नाता <input type="checkbox"/> प्रमाणित | ५५४ | ५५४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | जन्म, मृत्यु दर्ता | २३०५ | २३०५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | ५ | अन्य | ० | ० | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|------|------|------|--|-------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|----|---|
| | | ६ | | ४३१८ | ४३१८ | | | | | | | | | | |
| | आन्तरिक राजस्व | | | | | | | | | | | | | | |
| २१. | <p>आम्दानी एकिन नभएको - स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(२) मा गाउँपालिकाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्यय वर्गिकरण तथा खर्च व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसवर्ष गाउँपालिकाले आन्तरिक आय रु.२१७३१५५ प्राप्त गरेको देखाएको छ । आम्दानीका शिर्षकहरु वर्गिकरण गरी कोष खातामा वडाको आम्दानी जनाई हिसाव राखेको छ । तर कार्यालयले पेश गरेको रसिद नियन्त्रण खाता अनुसार वडाले यस वर्ष बुझेको मालपोत तथा नगदी रसिदमा उल्लेखित नम्बर भन्दा फरक नम्बर भएका रसिद प्रयोग गरेकोले वडागत आम्दानीको यथार्थ विवरण यकिन गर्न सकिदैन । अतः यस वर्ष वडाले प्रयोग गरेका रसिदको छानविन गरी वडाबाट भएको आम्दानीको यथार्थ विवरण तयार पारी आम्दानी एकिन गर्नु पर्ने देखियो ।</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| २२. | <p>पुँजीगत खर्च विधि - पुँजीगत खर्च विधि कार्यालयबाट पेश भएको विवरण अनुसार पुँजीगत खर्च देहाय अनुसार गरेको पाइयो ।</p> <table border="1" data-bbox="242 810 1315 1010"> <thead> <tr> <th>निर्माण कार्यमा भएको कुल खर्च</th> <th>कुल खर्च मध्ये उपभोक्ता समिति मार्फत भएको रकम</th> <th>निर्माण व्यवसायीबाट भएको रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२०२२१६६८३</td> <td>१८५४१६६८३</td> <td>१६८०००००</td> </tr> <tr> <td>प्रतिशत १००</td> <td>९२</td> <td>८</td> </tr> </tbody> </table> <p>कुल खर्च मध्ये ९२ प्रतिशत उपभोक्ता समितिबाट खर्च गरेकोले प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गर्नेतर्फ पालिकाको ध्यान पुगनु पर्दछ ।</p> | | | | | | निर्माण कार्यमा भएको कुल खर्च | कुल खर्च मध्ये उपभोक्ता समिति मार्फत भएको रकम | निर्माण व्यवसायीबाट भएको रकम | २०२२१६६८३ | १८५४१६६८३ | १६८००००० | प्रतिशत १०० | ९२ | ८ |
| निर्माण कार्यमा भएको कुल खर्च | कुल खर्च मध्ये उपभोक्ता समिति मार्फत भएको रकम | निर्माण व्यवसायीबाट भएको रकम | | | | | | | | | | | | | |
| २०२२१६६८३ | १८५४१६६८३ | १६८००००० | | | | | | | | | | | | | |
| प्रतिशत १०० | ९२ | ८ | | | | | | | | | | | | | |
| २३. | <p>वन पैदावार - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (ख) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार बिक्री तथा उपयोग सम्बन्धि आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाई गाउँपालिकाबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने र वन पैदावार बिक्री बापत प्राप्त हुने रकमको दश प्रतिशत रकम सम्बन्धित गाउँपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले सो सम्बन्धि अभिलेख तथा वन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको देखिएन । आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक वनको अभिलेख राखी वन कार्ययोजनाको स्वीकृति तथा वन पैदावारको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम आम्दानी गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | कर दस्तुर तथा मु.अ. कर | | | | | | | | | | | | | | |
| २४. | <p>मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी - १२४।०७७।१।२६ समानिकरण पुँजीगत आर्थिक ऐन, २०७६ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सरकारी कार्यालयले २०७६।२।१६ देखिको ठेक्का वा करार अन्तर्गतको भुक्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशत सम्बन्धीत राजस्व शीर्षकमा र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धीत फर्मलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर पालिकाले कानून ईन्टरप्राइजेजलाइ रु.१५४७८५ मू.अ.कर भुक्तानी गरेकोमा नियमानुसार ५० प्रतिशत रकम रु. ७७३९२ कट्टी गरी राजस्व दाखिला नगरी फर्मलाई नै भुक्तानी दिएकोले कर समायोजन प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | समानिकरण चालु | | | | | | | | | | | | | | |
| २५. | <p>भान्छा सहायक - गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षको लागी भान्छा सहायकको व्यवस्था गरेको देखिदैन । कार्यालयले गाउँपालिका अध्यक्षलाई भान्सा सहायकको रकम भनी रु.९८०३० भुक्तानी भएको छ । ऐनमा भएको भन्दा फरक सुविधा भुक्तानी भएको रकम अनियमित देखिएको रु.</p> | | | | | | | | | | | | | | |

| २६. | <p>पदाधिकारी सुविधा- गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ दफा ३ को अनुसूचि १ अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य लाई सवारी साधन उपलब्ध नभएमा क्रमश १००००, १००००, ४००० र २५०० नगद पाउने व्यवस्था छ । पदाधिकारीले कार्यालयबाट मोटर साईकल प्रयोग गरेको ईन्धनको विल तथा लगसिटबाट देखियो । पदाधिकारीले कार्यालयको सवारी साधन प्रयोग गरेको र मासिक यातायात खर्च वापतको रकम समेत बुझि लिएकोले निम्नानुसारको सवारी भत्ता दोहोरो रकम असुल गर्नुपर्ने रु.</p> | | | | | ३८४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|-------|------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|-------|---|--------------------|-------------------|-------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|------|--------------------|-------|-------------|--------------|---------------|---|-----|-------------|------|------|---|------|---------------------------|-----------|------|------|---|------|-----------|-------|-----|---|-------|-------------|-------|------|---|-------|-------------------|------|------|---|------|--|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि नं</th> <th>पदाधिकारी</th> <th>भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>वडाध्यक्ष वडा नं १</td> <td>४८०००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>वडाध्यक्ष वडा नं ३</td> <td>४८०००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>वडाध्यक्ष वडा नं ३</td> <td>४८०००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>वडाध्यक्ष वडा नं ४</td> <td>४८०००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>वडाध्यक्ष वडा नं ५</td> <td>४८०००</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>वडाध्यक्ष वडा नं ६</td> <td>४८०००</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>वडाध्यक्ष वडा नं ७</td> <td>४८०००</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>वडाध्यक्ष वडा नं ८</td> <td>४८०००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>३८४०००</td> </tr> </tbody> </table> | सि नं | पदाधिकारी | भुक्तानी | १ | वडाध्यक्ष वडा नं १ | ४८००० | २ | वडाध्यक्ष वडा नं ३ | ४८००० | ३ | वडाध्यक्ष वडा नं ३ | ४८००० | ४ | वडाध्यक्ष वडा नं ४ | ४८००० | ५ | वडाध्यक्ष वडा नं ५ | ४८००० | ६ | वडाध्यक्ष वडा नं ६ | ४८००० | ७ | वडाध्यक्ष वडा नं ७ | ४८००० | ८ | वडाध्यक्ष वडा नं ८ | ४८००० | | जम्मा | ३८४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सि नं | पदाधिकारी | भुक्तानी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | वडाध्यक्ष वडा नं १ | ४८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | वडाध्यक्ष वडा नं ३ | ४८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | वडाध्यक्ष वडा नं ३ | ४८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | वडाध्यक्ष वडा नं ४ | ४८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | वडाध्यक्ष वडा नं ५ | ४८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | वडाध्यक्ष वडा नं ६ | ४८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | वडाध्यक्ष वडा नं ७ | ४८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | वडाध्यक्ष वडा नं ८ | ४८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ३८४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २७. | <p>पदाधिकारी बैठक भत्ता - २५।२०७६।६।७ गाउँ तथा पालिकासभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ दफा ३ को अनुसूचि १ अनुसार पदाधिकारीलाई तोकिएको दर भन्दा फरक दर राखी कार्यपालिका बैठक भत्ता रकम भुक्तानी भएकोले वढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने रु.</p> | | | | | १३८००५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ नं मिति</th> <th>पदाधिकारीको नाम</th> <th>भुक्तानी रकम</th> <th>बैठक भत्ता दर</th> <th>बैठक संख्या माइन्सुट अनुसार</th> <th>कर पछिको रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">२४।०७६।६।३ समानिकरण चालु</td> <td>उपाध्यक्ष</td> <td>८८००</td> <td>१०००</td> <td>२</td> <td>५७८</td> </tr> <tr> <td>वडाध्यक्ष ८ जना</td> <td>६४०००</td> <td>१०००</td> <td>२</td> <td>४०८००</td> </tr> <tr> <td>का पा सदस्य ६ जना</td> <td>४८०००</td> <td>१०००</td> <td>२</td> <td>३०६००</td> </tr> <tr> <td>रमेश कुमार पाण्डे</td> <td>६०००</td> <td>१०००</td> <td>२</td> <td>३४००</td> </tr> <tr> <td>कल्पना राना</td> <td>१५००</td> <td>१०००</td> <td>१</td> <td>४२५</td> </tr> <tr> <td>र जन पोखरेल</td> <td>४५००</td> <td>१०००</td> <td>३</td> <td>२१७५</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">४३२।०७७।३।३ समानिकरण चालु</td> <td>उपाध्यक्ष</td> <td>१२००</td> <td>१०००</td> <td>८</td> <td>३४००</td> </tr> <tr> <td>वडाध्यक्ष</td> <td>९६०००</td> <td>१००</td> <td>८</td> <td>२७२००</td> </tr> <tr> <td>का पा सदस्य</td> <td>७२०००</td> <td>१०००</td> <td>८</td> <td>२०४००</td> </tr> <tr> <td>रमेश कुमार पाण्डे</td> <td>९०००</td> <td>१०००</td> <td>६</td> <td>२५५०</td> </tr> </tbody> </table> | भौ नं मिति | पदाधिकारीको नाम | भुक्तानी रकम | बैठक भत्ता दर | बैठक संख्या माइन्सुट अनुसार | कर पछिको रकम | २४।०७६।६।३ समानिकरण चालु | उपाध्यक्ष | ८८०० | १००० | २ | ५७८ | वडाध्यक्ष ८ जना | ६४००० | १००० | २ | ४०८०० | का पा सदस्य ६ जना | ४८००० | १००० | २ | ३०६०० | रमेश कुमार पाण्डे | ६००० | १००० | २ | ३४०० | कल्पना राना | १५०० | १००० | १ | ४२५ | र जन पोखरेल | ४५०० | १००० | ३ | २१७५ | ४३२।०७७।३।३ समानिकरण चालु | उपाध्यक्ष | १२०० | १००० | ८ | ३४०० | वडाध्यक्ष | ९६००० | १०० | ८ | २७२०० | का पा सदस्य | ७२००० | १००० | ८ | २०४०० | रमेश कुमार पाण्डे | ९००० | १००० | ६ | २५५० | | |
| भौ नं मिति | पदाधिकारीको नाम | भुक्तानी रकम | बैठक भत्ता दर | बैठक संख्या माइन्सुट अनुसार | कर पछिको रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २४।०७६।६।३ समानिकरण चालु | उपाध्यक्ष | ८८०० | १००० | २ | ५७८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | वडाध्यक्ष ८ जना | ६४००० | १००० | २ | ४०८०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | का पा सदस्य ६ जना | ४८००० | १००० | २ | ३०६०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | रमेश कुमार पाण्डे | ६००० | १००० | २ | ३४०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कल्पना राना | १५०० | १००० | १ | ४२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | र जन पोखरेल | ४५०० | १००० | ३ | २१७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४३२।०७७।३।३ समानिकरण चालु | उपाध्यक्ष | १२०० | १००० | ८ | ३४०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | वडाध्यक्ष | ९६००० | १०० | ८ | २७२०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | का पा सदस्य | ७२००० | १००० | ८ | २०४०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | रमेश कुमार पाण्डे | ९००० | १००० | ६ | २५५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | राजन पोखरेल | ४५०० | १००० | ३ | १२७५ | | |
| | | जम्मा | | | | | १३८००५ | |
| २८. | <p>प्रशिक्षण भत्ता बढी भुक्तानी - खर्च सम्बन्धि निर्देशिका, २०७३ मा सबै प्रकारको तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला सञ्चालन सम्बन्धि खर्चको मापदण्ड रहेको र स्थानीय तहमा आफ्नै निर्देशिका नभएको अवस्थामा यसै बमोजिम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस निर्देशिका बमोजिम पालिका स्तरमा तालिम सञ्चालन गर्दा प्रशिक्षकले प्रति सेसन कार्यपत्रवापत रु.८०० र प्रवचन वापत रु.७०० गरी जम्मा रु.१,५०० पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै आन्तरिक व्यक्तिले प्रशिक्षण गरे वापत अधिकृत स्तरले कार्यपत्रको मात्र रु.१००० को दरले र सहायकस्तरले रु.८०० का दरले भत्ता पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर पालिकाले सञ्चालन गरेको देहायको कार्यक्रमहरूमा तोकिएको भन्दा बढी भुक्तानी असुल गर्नुपर्ने रु.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | ८५०० | |
| | | भौ. नं. मिति | विवरण | कक्षा सख्या | भुक्तानी रकम | कर बाहेक बढी भुक्तानी रकम | | |
| | | ३८२ १०७७।३।२५ | माधव सुवेदी | ३ | ४५०० | १२७५ | | |
| | | | वालकृष्ण विक | ८ | १६००० | ३४०० | | |
| | | ६।०७७।५।२५ | गुणराज श्रेष्ठ संयोजक | १ | ५००० | ३८२५ | | |
| | | जम्मा | | | | ८५०० | | |
| २९. | <p>बिल भरपाई पेश नभएको - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(५) मा खर्च गर्दा खर्चको बिलभरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर पालिकाले देहायअनुसारको भुक्तानीमा बिल भरपाई नराखी भुक्तानी गरेकोले वास्तविक प्रमाणहरू पेश हुनुपर्ने रु.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | ५३६४८४ | |
| | | भौ. नं. मिति | विवरण | रकम | | | | |
| | | समानिकरण चालु ३८८।०७७।३।२६ | पालिकाले मनोज कुमार कार्कीलाई भुक्तानी गर्दा विल विजक भन्दा बढि रु.५३३२१ | ५३३२१ | | | | |
| | | ३६६।०७७।३।२६ समानिकरण पुँजीगत | अनुसूया हार्डवयर एण्ड सप्लायर्सलाई भुक्तानी दिएकोमा खर्च पुष्टि गर्ने प्रमाण | ४८३१६३ | | | | |
| | | जम्मा | | ५३६४८४ | | | | |
| ३०. | <p>भुक्तानीमा कर - ७१।०७६।७।२७ समानिकरण चालु आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले स्पेश इन्जिनियरीङ्गलाइ रु.४८९२५२ भुक्तानी गर्दा अग्रिम आयकर वापत रु.६४९५ कट्टा नगरी भुक्तानी गरेकोले कर रकम असुल गरी संघीय सञ्चित कोष दाखिला हुनुपर्ने रु.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | ६४९५ | |
| ३१. | <p>तालिम संचालक संस्थाको विजक पेश नभएको - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले संस्था मार्फत तालिम कार्यक्रम संचालन गरेकोमा सम्बन्धित संस्थाले विजक जारी गरेको देखिएन। तसर्थ नेपाल पत्रकार महासंघलाई रु.३००००० को भुक्तानीमा १५ प्रतिशत कर रु.४५००० कट्टा गर्नुपर्नेमा रु.१९८८२मात्र कट्टा गरेकोले नपुग रु.३३११८ असुल गरी संघीय सञ्चित कोष दाखिला हुनुपर्ने रु.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | ३३११८ | |

| संघ शसर्त अनुदान | | | | | |
|------------------|--|----------------|----------|---------------------|-------------------|
| ३२. | शिक्षक दरबन्दी — गाँउपालिकाले पेश गरेको शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्ति देहाय अनुसार रहेको छ । | | | | |
| सि न | विद्यालयको नाम | शिक्षक दरबन्दी | पदपूर्ति | पदपूर्ति मध्ये करार | विद्यार्थि संख्या |
| १ | आ.वि. लामादि वरे | २ | २ | १ | ८२ |
| २ | जनता प्रा.वि.सिन्कौले | ३ | ३ | २ | ३६ |
| ३ | मा.वि. वरे | ११ | १० | २ | १७० |
| ४ | पन्चकन्या प्रा.वि.सानोढुङ्गे | १ | १ | ० | २४ |
| ५ | सरस्वति प्रा.वि आहालडाँडा अग्राखे | ३ | ३ | १ | ७० |
| ६ | जनता आधारभूत विद्यालय रैतिमा | ५ | ५ | ० | १०६ |
| ७ | मा.वि. रातामाटे | ८ | ८ | २ | ३२५ |
| ८ | पञ्चावति आ.वि साइपा | ३ | ३ | १ | ४७ |
| ९ | महाकाली प्रा.वि रत्नभञ्ज्याङ्ग | १ | १ | १ | ५४ |
| १० | जनशक्ति प्रा.वि बरे | ० | ० | ० | ६४ |
| ११ | नमुनादेबि प्रा.वि मान्सिन्टार | ० | ० | ० | ३० |
| १२ | प्रा.वि ढुङ्गे ढुमे | ३ | ० | ० | ३१ |
| १३ | जनप्रेमी प्रा.वि. मझुवा बेतिनी ढुमे | ३ | ३ | १ | २७ |
| १४ | प्रा.वि साजबोटे | ३ | ३ | १ | २१ |
| १५ | मा.वि. जलिकनी | १० | १० | ० | २४२ |
| १६ | जनता मा.वि. ढुमे | ४ | ४ | ० | २५३ |
| १७ | आ.वि. गोगने | ३ | ३ | ० | ४८ |
| १८ | बैजनाथ बैजनी | १ | १ | १ | ३५ |
| १९ | गैहीधारा प्रा.वि बाहुनितार | ० | ० | ० | ३३ |
| २० | आधारभूत विद्यालय केउरनी | ५ | ५ | ० | १०६ |
| २१ | ककनी प्रा वि चुलाढुङ्गा | ३ | ३ | १ | ४२ |
| २२ | जनता प्रा वि कुरकुनटार | २ | २ | ० | १०४ |
| २३ | मा वि भुमरे | ७ | ७ | ० | १२० |
| २४ | मा वि बोहोरिबोट | ६ | ६ | ० | १४३ |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|----|----|---|-----|
| २५ | मा वि नेपालटार | १४ | १४ | ० | ४०४ |
| २६ | बागेश्वरी प्रा वि गोहिया | ३ | ३ | ० | ५५ |
| २७ | पञ्चावति मा वि | १४ | १४ | १ | २८६ |
| २८ | जनपञ्च नि मा वि मौमासी | ४ | ४ | ० | ९६ |
| २९ | बालज्योति प्रा वि कुसुमबोट | ३ | ३ | ० | ३० |
| ३० | जनकल्याण मा वि रुम्जाटार | ६ | ६ | ० | १५९ |
| ३१ | जनता प्रा वि नुनथला धप्पर | ३ | ३ | ० | ६० |
| ३२ | कालिका प्रा वि डुम्रीटार | २ | २ | ० | ५३ |
| ३३ | पञ्चकन्या प्रा वि पलासे | १ | १ | ० | ५७ |
| ३४ | कपिलेश्वर प्रा वि सोलिढुङ्गा | १ | १ | ० | ७१ |
| ३५ | धुवाजन मा वि बाहुनिटार | १३ | १२ | ३ | ५६३ |
| ३६ | आधारभूत विद्यालय सर्गवास | ४ | ४ | ० | १२३ |
| ३७ | प्रा वि थाक्ले | ३ | ३ | १ | ६३ |
| ३८ | आधारभूत विद्यालय गोर्खे | ३ | ३ | ० | १७९ |
| ३९ | आधारभूत विद्यालय मुर्मे | ६ | ६ | १ | २०४ |
| ४० | जनाता प्रा वि हुलाक भङ्गाङ्ग | ० | ० | ० | ४७ |
| ४१ | जनता प्रा वि शिखरपुर | ० | ० | ० | ८४ |
| ४२ | आधारभूत विद्यालय नाङ्गराडे | ३ | ३ | ० | ७७ |
| ४३ | सत्यवति प्रा वि घ्याम्पे | २ | २ | ० | ३१ |
| ४४ | जनाता आधारभूत वि सित्तले | ५ | ५ | ० | १११ |
| ४५ | महेन्द्र प्रा वि चियावारी | ३ | ३ | ० | २१ |
| ४६ | मा वि भलायडाँडा | १४ | १४ | २ | ६६० |
| ४७ | आधारभूत विद्यालय नरेटार | ४ | ४ | ० | १३८ |
| ४८ | ककनी आधारभूत विद्यालय विरालिटार | २ | २ | ० | १३२ |
| ४९ | राजश्री आधारभूत विद्यालय कोल्टे | ४ | ४ | ० | ९३ |
| ५० | आधारभूत विद्यालय चुरुम्फा | ५ | ५ | ० | १८९ |
| ५१ | माहादेव आधारभूत विद्यालय | ४ | ४ | १ | ८६ |
| ५२ | बलान आधारभूत विद्यालय कपासे | ३ | ३ | १ | १५९ |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|-----|-----|----|------|
| ५३ | मा वि हाडेवास | १० | १० | ० | २५३ |
| ५४ | जनता प्रा वि धर्वासे | १ | १ | ० | ४६ |
| ५५ | पञ्चकन्या प्रा वि खोल्मे | १ | १ | ० | ५३ |
| ५६ | जनता प्रा वि सिदन | ० | ० | ० | २६ |
| ५७ | पाथिभरा प्रा वि अजिङ्गरे | ० | ० | ० | ३१ |
| ५८ | मुनाल प्रा वि तल्लो धर्वासे | ० | ० | ० | २८ |
| ५९ | जनता प्रा वि गोठडाँडा | ० | ० | ० | २४ |
| ६० | विश्वकञ्चन प्रा वि अघेरी | १ | १ | ० | ३९ |
| | जम्मा | २२९ | २२४ | २४ | ६९४४ |

उपरोक्त शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्ति एवम् विद्यार्थी सङ्ख्या विश्लेषण गर्दा प्रति शिक्षक औषतमा ३१ जना विद्यार्थी पढाउनु पर्ने अवस्था देखिएको, विद्यार्थी संख्याको तुलनामा शिक्षक दरबन्दी बढी भएको देखिदा गाँउपालिकाले शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्य यथाशिघ्र अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

३३. सोझै खरिद — सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा—टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले यो वर्ष वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाएको लागत अनुमान नबनाएको, विद्यालयमा सो समानहरु जिन्सी दाखिला भएको नदेखिएकोले अनियमित देखिएको रु.

१६९५७४७

| भौ. नं. र मिति | खरिदको विवरण | रकम |
|---------------------|---|---------|
| १५४।२०७७।३।२८ सशर्त | स्मार ट लिभिङ्ग टेक्नोसबाट स्यानिटरी प्याड खरिद | ४९३७९५ |
| १५५।२०७७।३।२८ सशर्त | सुश्रीत इन्टरप्राइजेजबाट स्यानिटरी प्याड खरिद | ४८९९६८ |
| १५६।२०७७।३।२८ सशर्त | एस पी ट्रेड एण्ड सप्लायर्सबाट स्यानिटरी प्याड खरिद | ४८२३१२ |
| १५७।२०७७।३।२८ सशर्त | त्रियोनड द वाल ट्रेडिङ्ग प्रालिबाट स्यानिटरी प्याड खरिद | २२९६७२ |
| | जम्मा | १६९५७४७ |

३४. नर्स भन्दा बढी खर्च — संघ सशर्त ८।२०७६।६।६ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०६७।०७७ अनुसार न्यानो झोला खरिद गर्दा रु. ९०० भन्दा बढी नाघ्न नपाईने व्यवस्था रहेकोमा रु.१०१७ भ्याट सहित प्रति प्याकेटको दरले खरिद गरेकोले निर्देशिकाले तोकेभन्दा बढी खर्च लेखेको रु. २९२५० सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्नु पर्ने रु.

२९२५०

३५. बढी भुक्तानी — संघ सशर्त ९।२०७६।६।९ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम, आमा सुरक्षा सञ्चालन गर्न पालिकाले मातहतका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीलाई पेशकी दिने तथा सुत्केरीको ईकाइगत खर्चको आधारमा पेशकी फछ्यौँट गर्ने गरेकोमा विश्वनाथ ठाकुरको २१ वटा डेलिभरीको सबै केश अध्ययन गर्दा रु. ७९८०० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा रु. ८३८०० भुक्तानी गरेकोले रु.४००० असुल गर्नुपर्ने रु.

४०००

| ३६. | <p>सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम पेशकी - देहायका कर्मचारीलाई कार्यालयले आमा सुरक्षा कार्यक्रमबापत दिएको पेशकी रकममध्ये स्वास्थ्य संस्थाको ईकाईगत खर्च बापतको रकम स्वास्थ्य संस्थामा आम्दानी बाँधेको नदेखिएकोले उक्त रकम स्वास्थ्य संस्थाको खातामा जम्मा गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने रु.</p> <table border="1" data-bbox="252 286 1326 730"> <thead> <tr> <th>भौ. नं. र मिति</th> <th>पेशकी</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>९।२०७६।६।९ सशर्त</td> <td>स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत विश्वनाथ ठाकुरले २१ वटा डेलिभरीको ७०० का दरले</td> <td>१४७००</td> </tr> <tr> <td>६९।२०७७।२।६ सशर्त</td> <td>स्वास्थ्य चौकी भलायाडाँडाका दिवाकर कार्कीले ३० वटा डेलिभरीको ७०० का दरले</td> <td>२१०००</td> </tr> <tr> <td>११७।२०७७।३।१६ सशर्त</td> <td>स्वास्थ्य चौकी तावाश्रीका देवकान्त कुमार शर्माले २९ वटा डेलिभरीको ७०० का दरले</td> <td>२०३००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>५६०००</td> </tr> </tbody> </table> | भौ. नं. र मिति | पेशकी | रकम | ९।२०७६।६।९ सशर्त | स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत विश्वनाथ ठाकुरले २१ वटा डेलिभरीको ७०० का दरले | १४७०० | ६९।२०७७।२।६ सशर्त | स्वास्थ्य चौकी भलायाडाँडाका दिवाकर कार्कीले ३० वटा डेलिभरीको ७०० का दरले | २१००० | ११७।२०७७।३।१६ सशर्त | स्वास्थ्य चौकी तावाश्रीका देवकान्त कुमार शर्माले २९ वटा डेलिभरीको ७०० का दरले | २०३०० | जम्मा | | ५६००० | ५६००० |
|-------------------------|---|----------------|-------|--------------|-------------------------|---|-------|-------------------------|--|-------|---------------------|---|-------|-------|--|-------|-------|
| भौ. नं. र मिति | पेशकी | रकम | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९।२०७६।६।९ सशर्त | स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत विश्वनाथ ठाकुरले २१ वटा डेलिभरीको ७०० का दरले | १४७०० | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६९।२०७७।२।६ सशर्त | स्वास्थ्य चौकी भलायाडाँडाका दिवाकर कार्कीले ३० वटा डेलिभरीको ७०० का दरले | २१००० | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११७।२०७७।३।१६ सशर्त | स्वास्थ्य चौकी तावाश्रीका देवकान्त कुमार शर्माले २९ वटा डेलिभरीको ७०० का दरले | २०३०० | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | ५६००० | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३७. | <p>कर कट्टी - १४२।२०७७।३।१६ देहायका कर्मचारीलाई कार्यालयले आमा सुरक्षा कार्यक्रमबापत दिएको पेशकी रकम फछ्यौट गर्दा सेवाप्रदायक भत्तामा लाग्ने कर राजस्व खातामा जम्मा गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने रु.</p> <table border="1" data-bbox="252 882 1326 1346"> <thead> <tr> <th>भौ. नं. र मिति</th> <th>पेशकी</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>९।२०७६।६।९ सशर्त</td> <td>स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत विश्वनाथ ठाकुरले २१ वटा डेलिभरीको ४५ का दरले</td> <td>९४५</td> </tr> <tr> <td>६९।२०७७।२।६ सशर्त</td> <td>स्वास्थ्य चौकी भलायाडाँडाका दिवाकर कार्कीले ३० वटा डेलिभरीको ४५ का दरले</td> <td>१३५०</td> </tr> <tr> <td>११७।२०७७।३।१६ सशर्त</td> <td>स्वास्थ्य चौकी तावाश्रीका देवकान्त कुमार शर्माले २९ वटा डेलिभरीको ४५ का दरले</td> <td>१३०५</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>३६००</td> </tr> </tbody> </table> | भौ. नं. र मिति | पेशकी | रकम | ९।२०७६।६।९ सशर्त | स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत विश्वनाथ ठाकुरले २१ वटा डेलिभरीको ४५ का दरले | ९४५ | ६९।२०७७।२।६ सशर्त | स्वास्थ्य चौकी भलायाडाँडाका दिवाकर कार्कीले ३० वटा डेलिभरीको ४५ का दरले | १३५० | ११७।२०७७।३।१६ सशर्त | स्वास्थ्य चौकी तावाश्रीका देवकान्त कुमार शर्माले २९ वटा डेलिभरीको ४५ का दरले | १३०५ | जम्मा | | ३६०० | ३६०० |
| भौ. नं. र मिति | पेशकी | रकम | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९।२०७६।६।९ सशर्त | स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत विश्वनाथ ठाकुरले २१ वटा डेलिभरीको ४५ का दरले | ९४५ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६९।२०७७।२।६ सशर्त | स्वास्थ्य चौकी भलायाडाँडाका दिवाकर कार्कीले ३० वटा डेलिभरीको ४५ का दरले | १३५० | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११७।२०७७।३।१६ सशर्त | स्वास्थ्य चौकी तावाश्रीका देवकान्त कुमार शर्माले २९ वटा डेलिभरीको ४५ का दरले | १३०५ | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | ३६०० | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८. | <p>खर्च भन्दा बढी रकम भुक्तानी — आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(३) मा खर्च गर्दा खर्चको बिलभरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर पालिकाले देहायको भुक्तानी गर्दा खर्चको पुष्टि गर्ने प्रमाण संलग्न नगरी रु.३०५८३ बढी भुक्तानी गरेकोले असुल गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1" data-bbox="252 1541 1326 1921"> <thead> <tr> <th>भौ. नं.मिति</th> <th>विवरण</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२८।२०७६।९।२८ सशर्त चालु</td> <td>रैतार्ने कित्ता सिचाई जल उ स वडा नं २ लाई प्रोभिजनल सम इन्सुरेन्सबापतको रकम भुक्तानी गर्दा रु. २२०९१ को मात्र विजक पेश भएकोमा ५९६७४ भुक्तानी भएको</td> <td>२९५८३</td> </tr> <tr> <td>९०।२०७७।२।३१ सशर्त चालु</td> <td>परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रममा ५५००० भुक्तानी ५४००० खर्च</td> <td>१०००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>३०५८३</td> </tr> </tbody> </table> | भौ. नं.मिति | विवरण | बढी भुक्तानी | २८।२०७६।९।२८ सशर्त चालु | रैतार्ने कित्ता सिचाई जल उ स वडा नं २ लाई प्रोभिजनल सम इन्सुरेन्सबापतको रकम भुक्तानी गर्दा रु. २२०९१ को मात्र विजक पेश भएकोमा ५९६७४ भुक्तानी भएको | २९५८३ | ९०।२०७७।२।३१ सशर्त चालु | परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रममा ५५००० भुक्तानी ५४००० खर्च | १००० | | जम्मा | ३०५८३ | ३०५८३ | | | |
| भौ. नं.मिति | विवरण | बढी भुक्तानी | | | | | | | | | | | | | | | |
| २८।२०७६।९।२८ सशर्त चालु | रैतार्ने कित्ता सिचाई जल उ स वडा नं २ लाई प्रोभिजनल सम इन्सुरेन्सबापतको रकम भुक्तानी गर्दा रु. २२०९१ को मात्र विजक पेश भएकोमा ५९६७४ भुक्तानी भएको | २९५८३ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९०।२०७७।२।३१ सशर्त चालु | परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रममा ५५००० भुक्तानी ५४००० खर्च | १००० | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ३०५८३ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३९. | <p>नर्स भन्दा बढी दरको प्रयोग — २८।२०७६।९।२८ सशर्त चालु Ministry of Physical infrastructure and Transportation को स्वीकृत नर्स अनुसार स्थानीय काठ न्यूनतम ६ पटक प्रयोग गर्ने गरी दर कायम गरी लागत अनुमान तयार गर्नु पर्दछ।पालिकाले रैतार्ने कित्ता सिचाई जल उ स वडा नं २मा</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | फर्माको काममा प्रति वर्ग मि रु.५४५ हुनेमा रु.६०८ ले भुक्तानी गरेकोले ६१२ वर्ग मि.को रु.६३ ले रु.३८५५६ बढी भुक्तानी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु. | ३८५५६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------------|---|--------|------------------------|--|-----------------|------------------------|--|--------|-------------------------|---|----------------|---------|---------|-------|--------------|--|--|----------------|----------------|--------------|-------|
| ४०. | <p>शिक्षकको तलब भत्ता - शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १७९ मा कुनै कामको लागि आवश्यकभन्दा बढी रकम माग गर्ने र निकासा दिने पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गरी बढी निकासा वा खर्च भएको रकम असुल उपर गरिने उल्लेख छ। तर पालिकाले मातहतका विद्यालयहरुको तलब भत्ता निकाशा गर्दा माध्यमिक विद्यालय छिद्रिङ्ग खोलाको शिक्षक कर्मचारीको तलब,दर्शै र पोशाक साउन, भदौ, अशोज, कार्तिक, माघ, फागुन, चैत्र, बैशाख, जेठ, असारको लागि कोराना कोषमा पठाएको रु.३७२६३ समेत रु.३९६२८३९ निकासा गरेको छ। उक्त विद्यालयले माग गरेको रु.३८७७६४२ भन्दा गणना फरकपारी रु. ८५९९७ बढी निकासा गरेको छ। माग फाराम भन्दा बढी निकासा भएको रु. ८५९९७ असुल गर्नु पर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ नं.मिति</th> <th>विद्यालय</th> <th>महिना</th> <th>माग</th> <th>निकासा</th> <th>बढी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>४९-२०७६/११/१६</td> <td>माध्यमिक विद्यालय छिद्रिङ्गखोला</td> <td>माघ फागुन चैत्र</td> <td>१११६५४३</td> <td>१११८६५७</td> <td>२११४</td> </tr> <tr> <td>१४७-२०७७/३/२६</td> <td>माध्यमिक विद्यालय छिद्रिङ्गखोला</td> <td>बैशाख जेठ असार</td> <td>१२५४६८६</td> <td>१२७७७७७</td> <td>२३०९१</td> </tr> <tr> <td colspan="3">जम्मा</td> <td>२३७१२२९</td> <td>२३९६४३४</td> <td>२५२०५</td> </tr> </tbody> </table> | भौ नं.मिति | विद्यालय | महिना | माग | निकासा | बढी | ४९-२०७६/११/१६ | माध्यमिक विद्यालय छिद्रिङ्गखोला | माघ फागुन चैत्र | १११६५४३ | १११८६५७ | २११४ | १४७-२०७७/३/२६ | माध्यमिक विद्यालय छिद्रिङ्गखोला | बैशाख जेठ असार | १२५४६८६ | १२७७७७७ | २३०९१ | जम्मा | | | २३७१२२९ | २३९६४३४ | २५२०५ | २५२०५ |
| भौ नं.मिति | विद्यालय | महिना | माग | निकासा | बढी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४९-२०७६/११/१६ | माध्यमिक विद्यालय छिद्रिङ्गखोला | माघ फागुन चैत्र | १११६५४३ | १११८६५७ | २११४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४७-२०७७/३/२६ | माध्यमिक विद्यालय छिद्रिङ्गखोला | बैशाख जेठ असार | १२५४६८६ | १२७७७७७ | २३०९१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | २३७१२२९ | २३९६४३४ | २५२०५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४१. | कार्यान्वयन पुस्तिकाको पालना नभएको - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६.७७ अनुसार कन्टेन्जेन्सी कट्टा नगरी विद्यालयको खातामा निकासा गर्नु पर्नेमा पालिकाले रु.१३३००००० को ४ प्रतिशतले रु. ५३२००० कट्टा गरेकोले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाको पालना भएको नपाइएकोले अनियमित देखिएको रु. | ५३२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | समानिकरण पुँजीगत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४२. | <p>नापी कितावको आधारमा भुक्तानी —आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ मा खर्चको लेखा राख्दा विल भरपाई र खर्चको पुष्टि हुने प्रमाण संलग्न गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर देहायका योजनाहरुको भुक्तानी गर्दा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताव र इन्जिनियरीङ्ग विलको आधारमा भुक्तानी गरेको पाइयो ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२१।०७६।९।२३ पुँजीगत</td> <td>समानिकरण सर्गवास बस्तिपुर ओखले जोड्ने सडक</td> <td>२०९८८३</td> </tr> <tr> <td>२२।०७६।९।२४ पुँजीगत</td> <td>समानिकरण जरुवा हात्तिटार काउलि खोल्सा हुदै डुम्रे जोड्ने सडक</td> <td>४२५१६३</td> </tr> <tr> <td>२३।०७६।९।२४ पुँजीगत</td> <td>समानिकरण उदयपुरगढी जल्फेनी दुवारे भङ्ग्याड सडक</td> <td>३३९८६५</td> </tr> <tr> <td>६३।०७६।१०।२५ पुँजीगत</td> <td>समानिकरण नेपालटार सान्धम्ने काभ्रेपानी जोड्ने सडक</td> <td>३७१९२२</td> </tr> </tbody> </table> | भौ.नं. र मिति | योजनाको नाम | भुक्तानी रकम | २१।०७६।९।२३ पुँजीगत | समानिकरण सर्गवास बस्तिपुर ओखले जोड्ने सडक | २०९८८३ | २२।०७६।९।२४ पुँजीगत | समानिकरण जरुवा हात्तिटार काउलि खोल्सा हुदै डुम्रे जोड्ने सडक | ४२५१६३ | २३।०७६।९।२४ पुँजीगत | समानिकरण उदयपुरगढी जल्फेनी दुवारे भङ्ग्याड सडक | ३३९८६५ | ६३।०७६।१०।२५ पुँजीगत | समानिकरण नेपालटार सान्धम्ने काभ्रेपानी जोड्ने सडक | ३७१९२२ | | | | | | | | | | |
| भौ.नं. र मिति | योजनाको नाम | भुक्तानी रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१।०७६।९।२३ पुँजीगत | समानिकरण सर्गवास बस्तिपुर ओखले जोड्ने सडक | २०९८८३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२।०७६।९।२४ पुँजीगत | समानिकरण जरुवा हात्तिटार काउलि खोल्सा हुदै डुम्रे जोड्ने सडक | ४२५१६३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३।०७६।९।२४ पुँजीगत | समानिकरण उदयपुरगढी जल्फेनी दुवारे भङ्ग्याड सडक | ३३९८६५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६३।०७६।१०।२५ पुँजीगत | समानिकरण नेपालटार सान्धम्ने काभ्रेपानी जोड्ने सडक | ३७१९२२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----|--|----------|---|---------|
| | ७०।०७६।१०।२४ | समानिकरण | पाडेभञ्ज्याड मजुवा हुदै चैते खोला सिरिसे चुरुम्का सडक | १७३६८२ |
| | ८३।०७६।११।६ | समानिकरण | नागवेली रुम्जाटार हुदै पिडिवास सडक | ११८२०१ |
| | ८४।०७६।११।६ | समानिकरण | वरुलाटार सिम्ले सडक | २३५५७९ |
| | ८५।०७६।११।७ | समानिकरण | वडा भित्र रहेका सम्पूर्ण सडक | ३११५०१ |
| | ८६।०७६।११।६ | समानिकरण | जस्वा लामाढी सडक | २०६३२१ |
| | १३०।०७७।१।३१ | समानिकरण | पलासे मौवासी उदयपुरगढी सडक | १४८७८८ |
| | १३३।०७७।२५१ | समानिकरण | आहाले देउराली केशे भञ्ज्याड सडक | ३४३९९२ |
| | १३५।०७७।२।२ | समानिकरण | डाडा टोल पुरानो गढी सडक | ८७६२६ |
| | १४९।०७७।२।८ | समानिकरण | हुलाक भञ्ज्याड बुढाबुढी सडक | ३४१४७६ |
| | १७६।०७७।२।२१ | समानिकरण | माडसीडटार घट्टा गेर्खे भञ्ज्याड | ४८८८१६ |
| | १९६।०७७।२।२२ | समानिकरण | रातमाटे सिक्कौले मारुखर्क जोड्ने सडक | ५७०३९५ |
| | २२४।०७७।२।३२ | समानिकरण | चारघरे साइपा परेवा झरना सडक | ३७४२१४ |
| | २६३।०७७।३।९ | समानिकरण | माङ्गसीङ्गटार मरुवा चुलाढुङ्गा सडक | २९४२२९ |
| | जम्मा | | | ५०४१६५३ |
| | उपभोक्ता समिति माफत कार्य | | | |
| ४३. | <p>लागत सहभागिता - पालिकाले आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, नगद सहभागिता तोकिएको अवस्थामा सहभागिता वापतको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा दाखिला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपछि मात्र उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता गर्नुपर्दछ। तर पालिकाले लागत सहभागिता सहितका लागत अनुमान तयार गरेको देखिएन् । अतः नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।</p> | | | |
| ४४. | <p>निर्माण व्यवसायीबाट काम गराएको - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७.१३(क) मा उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको कुनै काम निर्माण व्यवसायीबाट गराएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले</p> | | | |

उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो समितिलाई भविष्यमा कुनै किसिमको काम गर्न नदिने अभिलेख राखी निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ग्रामीण सडक निर्माण गर्न सम्झौता गरेका उपभोक्ता समितिहरूले सडक निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीलाई दिई निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माण गरेको उल्लेख गरी जारी गरेको विजक कार्यालयमा पेश गरेको आधारमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको पाइयो ।

| भौ.नं. र मिति | योजनाको नाम | विवरण | रकम |
|--|---|--|---------|
| ४।०७७।२।२२ प्रदेश हस्तान्तरित पूँजीगत | जरुवा चिसापानी सडक मर्मत | उपभोक्ता समितिलाई दिएको राजेश एण्ड विशाल निर्माण सेवा प्रा लि मार्फत गराएको | २९७०००० |
| ७।०७७।२।३२ प्रदेश हस्तान्तरित पूँजीगत | बिर्तागाउँ बाहुनीटार स्कुल देखि ठकुरीपाखा खर्क हुँदै चुरुम्फा जोड्ने सडक | उपभोक्ता समितिलाई दिएको अनमोल ईन्टरप्राइजेज प्रा लि मार्फत गराएको | १४८५००० |
| १।०७७।३।२५ प्रदेश ससर्त अनुदान पूँजीगत | जरुवा रुन्चे भञ्ज्याङ्ग सडक | उपभोक्ता समितिलाई दिएको नविता एण्ड लोपचन कन्स्ट्रक्सन प्रा लि मार्फत गराएको | ३६२०१५२ |
| २१।०७६।९।२३ समानिकरण पूँजीगत | संडावास वस्तिपुर ओखले जोड्ने सडक | उपभोक्ता समितिलाई दिएको कार्य आर आर के कन्स्ट्रक्सन र थापा निर्माण सेवा मार्फत गराएको | ११९९००० |
| २२।०७६।९।२४ समानिकरण पूँजीगत | वरुवा हात्तिटार काफलि खोल्सा हुँदै डुम्रे जोड्ने सडक | उपभोक्ता समितिलाई दिएको कार्य नविता एण्ड लोपचन कन्स्ट्रक्सन प्रा लि मार्फत गराएको | १६९८१५६ |
| २३।०७६।९।२४ समानिकरण पूँजीगत | उदयपुरगढी जल्फेनी दुवारे भञ्ज्याङ | उपभोक्ता समितिलाई दिएको कार्य नविता एण्ड लोपचन कन्स्ट्रक्सन प्रा लि मार्फत गराएको | १३६०६६१ |
| १३३।०७७।२।१ समानिकरण पूँजीगत | आहाले देउराली केशे भञ्ज्याङ सडक | उपभोक्ता समितिलाई दिएको कार्य नविता एण्ड लोपचन कन्स्ट्रक्सन प्रा लि मार्फत गराएको | १३७४६७० |
| १४९।०७७।२।८ समानिकरण पूँजीगत | हुलाक भञ्ज्याङ बुढाबुढी सडक | उपभोक्ता समितिलाई दिएको कार्य थापा निर्माण सेवा मार्फत गराएको | १३६६०६३ |
| १७६।०७७।२।२१ समानिकरण पूँजीगत | माडदिडटार घट्टा डोर्खे भञ्ज्याङ सडक | उपभोक्ता समितिलाई दिएको कार्य आर आर के | २०६७७३३ |

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | कन्स्ट्रक्सन मार्फत गराएको | |
| १९६।०७७।२।२२ | रातमाटे सिक्कौले मारुखर्क सडक | उपभोक्ता समितिलाई दिएको कार्य थापा निर्माण सेवा मार्फत गराएको | २३३७००० | |
| २२४।०७७।२।३२ | चारघरे साइपा परेवा झरना सडक | उपभोक्ता समितिलाई दिएको कार्य नविता एण्ड लोपचन कन्स्ट्रक्सन प्रा लि मार्फत गराएको | १५३९६४३ | |
| २६३।०७७।३।१९ | माङ्गगसीटार मझुवा चुलाढुङ्गा सडक | उपभोक्ता समितिलाई दिएको कार्य नविता एण्ड लोपचन कन्स्ट्रक्सन प्रा लि मार्फत गराएको | ११७६००० | |
| जम्मा | | | १४१८८९२६ | |

४५. हेभी इक्विपमेण्टको प्रयोग - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । सो नियमावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिशमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । पालिका अन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरूले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गर्ने गरेको पाइए तापनि नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिश गराई गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सहमति लिएको देखिएन ।

| भौ.नं. र मिति | योजनाको नाम | रकम |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| १७।०७६।९।६ समानिकरण पुँजीगत | जरेटार नाडगराङ्गे हर्दिया अधेरी सडक | ३००००० |
| १८।०७६।९।६ समानिकरण पुँजीगत | कोल्टे भैनाटार हुदै बाघखोर सडक | ३००००० |
| २४।०७६।९।२४ समानिकरण पुँजीगत | तेले तेले कुसुम्बोट देउराली सडक मर्मत | १५००००० |
| ३१।०७६।१०।६ समानिकरण पुँजीगत | आम्बोटे गौरी भञ्ज्याड सोंगुरी सडक | १५००००० |
| ४०।०७६।१०।८ समानिकरण पुँजीगत | थलियाटार हाडेटार उदयपुरगढी | ५००००० |
| ४६।०७६।१०।१० समानिकरण पुँजीगत | रातमाटे पानीघटा सडक मर्मत | ५००००० |
| ४७।०७६।१०।१० समानिकरण पुँजीगत | जरुवा तामाडाडा कालेभञ्ज्याड चिसापानी | ५००००० |

| | | |
|------------------|---|----------|
| ५७।०७६।१०।१२ | नरेटार देखि दारेगौडा सडक | ६५०००० |
| समानिकरण पुँजीगत | | |
| ६०।०७६।१०।२३ | खोल्मे गैडाखोर सडक मर्मत | ४९७८१४ |
| समानिकरण पुँजीगत | | |
| १८६।०७७।२।२२ | आपडाडा रानाटोल गोर्खे सडक | ९४२११८ |
| समानिकरण पुँजीगत | | |
| १८९।०७७।२।२२ | रौतिमा सानो दुग्रे सडक | ९२८५०० |
| समानिकरण पुँजीगत | | |
| ३२९।०७७।३।१९ | घट्टा मिलडाडा मा वि बरे तोरी भञ्ज्याङ चिसापानी | १८५०००० |
| समानिकरण पुँजीगत | | |
| ३५२।०७६।३।२४ | आहाले हात्तिसार थाक्ले बस्तीपुर गोर्खे भञ्ज्याङ | १५००००० |
| समानिकरण पुँजीगत | | |
| | जम्मा | ११४६८४३२ |

४६.

दररेट विज्ञेयणमा बढी मुल्याङ्कन राखेको - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा १० र ११ मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य र मालसामान खरिद गर्नु अघि स्विकृत नमर्सको प्रयोग गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै सोही नियमावलीको दफा १२३ मा खरिद कार्य पछि बिल भरपाईको भुक्तानी दिदा प्राविधिक नापजाचँ र वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायले सम्भव भए सम्म कम लागतमा गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न हुने गरी लागत अनुमात बनाई कार्य सम्पन्न गरी सरकारी स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने दायित्व कार्यालयको रहेको हुन्छ । तर पालिकाले यस वर्ष सडक निर्माणमा माटो कटिड तर्फ सफ्ट रक तथा हार्ड रक को कार्यको रेट एनेलाइसिस गर्दा मेशिनले मात्र गरी सम्पन्न गर्न सक्ने कार्यमा २० प्रतिशत मेन्युवल रेट राखी बढी दर निर्धारण गरी लागत अनुमान बनाएको र सोही का आधारमा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी दिएको देखिन्छ। यसरी उपभोक्ता समितिबाट खरिद गरिएको सडक निर्माणको कार्यहरू मध्ये नमुनाको रूपमा परीक्षण गर्दा देहायको योजनाहरूमा बढी दरवाट भुक्तानी गरी बढी व्ययभार पारेको अनियमित देखिएको रु.

२५०७६६०

| हार्ड रक तर्फ | | | | | |
|----------------|-------------|------------------|-------------|--------|---------------------|
| भौचर नं र मिति | भुक्तानी दर | मेशिनको मात्र दर | बढी भएको दर | परिमाण | जम्मा बढी खर्च भएको |
| २२।०७६।१।२४ | १४०९ | ९५ | १३१३ | ५४३ | ७१२९५९ |
| १३३।०७७।२।१ | १४०९ | ९५ | १३१३ | २८६ | ३७५५१८ |
| १४९।०७७।२।८ | १४०९ | ९५ | १३१३ | २८४ | ३७२८९२ |
| सफ्ट रक तर्फ | | | | | |
| २२।०७६।१।२४ | २३४ | ६४ | १६९ | १३५८ | २२९५०२ |
| २३।०७७।१।२४ | २३४ | ६४ | १६९ | ९६६ | १६३२५४ |
| २९।०७६।१।२८ | २३४ | ६४ | १६९ | ८३४ | १४०९४६ |
| ३०।०७६।१।२८ | २३४ | ६४ | १६९ | ३५७ | २२५०२ |

| | ३१।०७६।१०।६ | २३४ | ६४ | १६९ | २१६३ | ३६५५४७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|------------------------|------------|--------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------|--------------|------------------------------|------------------------|------------------|-----|-----|-------|------------------------------|--------------------------|------------------|-----|-----|-------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----|-----|-------|-------------------------------|------------------------|------------------|-----|-----|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|
| | ३८।०७६।१०।७ | २३४ | ६४ | १६९ | २८५ | ४८१६५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | स्थानिय पुर्वाधार ५।०७७।१२८ | २९९ | ६४ | २३५ | ३२५ | ७६३७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | | | | २५०७६६० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४७. | <p>बढी मुल्य भुक्तानी भएको - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक नियमावलीको स्वीकृत नर्सको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै सोही नियमावलीको नियम १२३ मा बिल बिजको भुक्तानी दिदा वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था। तर पालिकाले देहायको उपभोक्ता समितिलाई दररेट विश्लेषण गर्दा सामानको दर राख्दा बढी राखी लागत अनुमान बनाइ कार्य गरेता पनि पेश भएको बिजक हेर्दा सामानको मुल्य कम देखिएको हुदा बढी मुल्याङ्कन भई भुक्तानी भएको देखिएको रकम असुल गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> | | | | | | ९८२४२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौचर नं र मिति</th> <th>उपभोक्ता समितिको नाम</th> <th>सामानको नाम र परिमाण</th> <th>दररेट मा राखिएको मुल्य</th> <th>खरिद मुल्य</th> <th>बढी भएको रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१५।०७६।६।२८ समानिकरण पुँजीगत</td> <td>महिला सहकारी भवन मर्मत</td> <td>११५ बोरा सिमेन्ट</td> <td>९४३</td> <td>८२४</td> <td>१३५७०</td> </tr> <tr> <td>२७।०७६।९।२५ समानिकरण पुँजीगत</td> <td>संगम कुलो कमेरे विच कुलो</td> <td>३६५ बोरा सिमेन्ट</td> <td>९४३</td> <td>८१९</td> <td>४५२६०</td> </tr> <tr> <td>४२।०७६।१०।८ समानिकरण पुँजीगत</td> <td>वडा कार्यालय घेराबारा</td> <td>१२० बोरा सिमेन्ट</td> <td>९४३</td> <td>८०४</td> <td>१६६१२</td> </tr> <tr> <td>१८५।०७७।२।२१ समानिकरण पुँजीगत</td> <td>क्रेउरोनी समुदायिक भवन</td> <td>१५० बोरा सिमेन्ट</td> <td>९४३</td> <td>७९१</td> <td>२२८००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>९८२४२</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | भौचर नं र मिति | उपभोक्ता समितिको नाम | सामानको नाम र परिमाण | दररेट मा राखिएको मुल्य | खरिद मुल्य | बढी भएको रकम | १५।०७६।६।२८ समानिकरण पुँजीगत | महिला सहकारी भवन मर्मत | ११५ बोरा सिमेन्ट | ९४३ | ८२४ | १३५७० | २७।०७६।९।२५ समानिकरण पुँजीगत | संगम कुलो कमेरे विच कुलो | ३६५ बोरा सिमेन्ट | ९४३ | ८१९ | ४५२६० | ४२।०७६।१०।८ समानिकरण पुँजीगत | वडा कार्यालय घेराबारा | १२० बोरा सिमेन्ट | ९४३ | ८०४ | १६६१२ | १८५।०७७।२।२१ समानिकरण पुँजीगत | क्रेउरोनी समुदायिक भवन | १५० बोरा सिमेन्ट | ९४३ | ७९१ | २२८०० | जम्मा | | | | | ९८२४२ | |
| भौचर नं र मिति | उपभोक्ता समितिको नाम | सामानको नाम र परिमाण | दररेट मा राखिएको मुल्य | खरिद मुल्य | बढी भएको रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५।०७६।६।२८ समानिकरण पुँजीगत | महिला सहकारी भवन मर्मत | ११५ बोरा सिमेन्ट | ९४३ | ८२४ | १३५७० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २७।०७६।९।२५ समानिकरण पुँजीगत | संगम कुलो कमेरे विच कुलो | ३६५ बोरा सिमेन्ट | ९४३ | ८१९ | ४५२६० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४२।०७६।१०।८ समानिकरण पुँजीगत | वडा कार्यालय घेराबारा | १२० बोरा सिमेन्ट | ९४३ | ८०४ | १६६१२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १८५।०७७।२।२१ समानिकरण पुँजीगत | क्रेउरोनी समुदायिक भवन | १५० बोरा सिमेन्ट | ९४३ | ७९१ | २२८०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | | ९८२४२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४८. | <p>अधिकतम मूल्य भन्दा बढी भुक्तानी - ३।२०७७।२।२१ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चन्देदार खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई रु.९९०००० भुक्तानी गर्दा धरान प्लाष्टिक कम्पनीले निर्धारण गरेको रेट भन्दा विभिन्न प्रकारका एच डी पी पाईप खरिद गर्दा रु.१११२६० बढी भुक्तानी गरेको देखिएकोले सो रकम असुल गरी प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने रु.</p> | | | | | | १११२६० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४९. | <p>औषधी खरिद - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा—टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुदैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा तर पालिकाले उक्त प्रक्रिया बेगर पटक पटक औषधि सोझै खरिद गरेको छ। यस सम्बन्धी देखिएको व्यहोराहरु निम्न अनुसार छन।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४९.१. | <p>औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री खरिद गर्नु पूर्व सम्बन्धित खर्च हुने इकाईहरु जस्तै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदिको मौज्जात परिमाण एकिन गरी आवश्यक मात्रामा माग फारम तयार गर्न लगाउने र त्यसैको आधारमा बार्षिक खपत परिमाण निर्धारण गरी लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेमा सो गरेको देखिएन।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४९.२. | <p>खरिद गरेका उक्त औषधि कुन औषधि कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | प्रकाशन समेत भएको नदेखिएको, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|-----------------|-------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----|--|----------------------------------|---------|---------|----------|----|--|--------------------------------|---------|---------|----------|----|------------------------------------|--|--------|--------|----------|----|------------------------------------|--|--------|--------|----------|-------|--|--|---------|---------|-----------|--|
| ४९.३. | आपूर्ति हुने औषधि डब्लु.एच.ओ. सर्टीफाइड हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नं र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाई राख्ने नगरेको तथा उक्त औषधि बिक्रीको लागि होइन खुलाएको प्रमाण समावेश नभएको, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४९.४. | आपूर्ति भएका औषधी एंवम सर्जिकल समान स्टोर दाखिला हुनुअघि स्पेशीफिकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औषधिको गुणस्तर र म्याद सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४९.५. | औषधिको जिन्सी कितावमा आम्दानी बाँध्दा खरिद गरेको र जिल्लाबाट हस्तान्तरण भई आएको खुल्ने गरी व्यवस्थित रूपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४९.६. | औषधिको खर्च घटाउदा माग फारामको आधारमा घटाउनु पर्नेमा एकमुष्ट घटाउने गरेको पाइयो । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४९.७. | तसर्थ, औषधिको खरिद, आपूर्ति, दाखिला तथा खर्चको विवरण अद्यावधिक हुने गरी अभिलेख राख्ने, तोकिएको गुणस्तर अनुसारकै औषधि प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्तान्तरण तथा खरिद गरिएको औषधिको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको औषधिहरूको जिम्मेवारी सारी जिन्सी अभिलेख व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५०. | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम - स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गराउन एवम् सामूदायिक पूर्वाधारहरूको विकास मार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीयतहभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहभित्रका वडाहरूमा सडक नाला, मोटर बाटो निर्माण कार्य लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस वर्ष १४३ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराई रु. ९६४४४० बराबर रकम खर्च गरेको छ । लक्षित वर्गलाई १६९६ दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रमिक ज्याला, प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्च समेत खर्च लेखेका छन् । उक्त खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना भए तापनि कामको दीगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना भएको देखिदैन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५१. | डीपीआर खर्च — बजेट व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्र गुरुयोजना डीपीआर लगायतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दछ। यस स्थानीय तहले यो वर्ष स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार देहायबमोजिमको कार्य परामर्शदाताबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>कार्यक्रमको नाम</th> <th>परामर्शदाता</th> <th>स्वीकृत बजेट</th> <th>खर्च रकम</th> <th>अध्ययनबाट निर्धारण भएका आयोजनाको लागत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td> <td>२,३,४ न वडामा water and irrigation supply को लागि डि पि आर</td> <td>स्पेश इन्जिनियरिड सर्भिस प्रा लि</td> <td>१५०००००</td> <td>१५०००००</td> <td>७४८१३३७८</td> </tr> <tr> <td>२.</td> <td>वडामा Water & Irrigation Supply को लागि डि पि आर</td> <td>ओझा ईन्जिनियरिड सर्भिस प्रा लि</td> <td>२००००००</td> <td>१९८८८००</td> <td>८७१९७१३३</td> </tr> <tr> <td>३.</td> <td>वकुवा खोला सडकपुल को लागि डि पि आर</td> <td>स्काई स्तार ईन्जिनियरिड सर्भिस प्रा लि</td> <td>९०००००</td> <td>८९७७८५</td> <td>५०३९२०९७</td> </tr> <tr> <td>४.</td> <td>गेर्खेखोला सडकपुल को लागि डि पि आर</td> <td>स्काई स्तार ईन्जिनियरिड सर्भिस प्रा लि</td> <td>९०००००</td> <td>८९७७८५</td> <td>५५४५०२२९</td> </tr> <tr> <td colspan="3">जम्मा</td> <td>५३०००००</td> <td>५२८४३७०</td> <td>२६७८५२८३७</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.सं. | कार्यक्रमको नाम | परामर्शदाता | स्वीकृत बजेट | खर्च रकम | अध्ययनबाट निर्धारण भएका आयोजनाको लागत | १. | २,३,४ न वडामा water and irrigation supply को लागि डि पि आर | स्पेश इन्जिनियरिड सर्भिस प्रा लि | १५००००० | १५००००० | ७४८१३३७८ | २. | वडामा Water & Irrigation Supply को लागि डि पि आर | ओझा ईन्जिनियरिड सर्भिस प्रा लि | २०००००० | १९८८८०० | ८७१९७१३३ | ३. | वकुवा खोला सडकपुल को लागि डि पि आर | स्काई स्तार ईन्जिनियरिड सर्भिस प्रा लि | ९००००० | ८९७७८५ | ५०३९२०९७ | ४. | गेर्खेखोला सडकपुल को लागि डि पि आर | स्काई स्तार ईन्जिनियरिड सर्भिस प्रा लि | ९००००० | ८९७७८५ | ५५४५०२२९ | जम्मा | | | ५३००००० | ५२८४३७० | २६७८५२८३७ | |
| क्र.सं. | कार्यक्रमको नाम | परामर्शदाता | स्वीकृत बजेट | खर्च रकम | अध्ययनबाट निर्धारण भएका आयोजनाको लागत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १. | २,३,४ न वडामा water and irrigation supply को लागि डि पि आर | स्पेश इन्जिनियरिड सर्भिस प्रा लि | १५००००० | १५००००० | ७४८१३३७८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २. | वडामा Water & Irrigation Supply को लागि डि पि आर | ओझा ईन्जिनियरिड सर्भिस प्रा लि | २०००००० | १९८८८०० | ८७१९७१३३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३. | वकुवा खोला सडकपुल को लागि डि पि आर | स्काई स्तार ईन्जिनियरिड सर्भिस प्रा लि | ९००००० | ८९७७८५ | ५०३९२०९७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४. | गेर्खेखोला सडकपुल को लागि डि पि आर | स्काई स्तार ईन्जिनियरिड सर्भिस प्रा लि | ९००००० | ८९७७८५ | ५५४५०२२९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | ५३००००० | ५२८४३७० | २६७८५२८३७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | डी.पी.आर.तयार गर्दा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग नगर्नाको कारण स्पष्ट गर्दै आगामी दिनमा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्तिबाट यस्तो कार्य गराउनु पर्दछ। साथै यसरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा गएको देखिएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-------------------------|---------------------|------------|-----------|--------|-----|--|
| ५२. | सार्वजनिक परीक्षण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, दिगो र भरपर्दो बनाउन कार्यक्रमको सामाजिक परीक्षण अन्तरगत सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिमको कार्य भएको पाइएन। सार्वजनिक परीक्षणको अभावमा आर्थिक कारोबारमा जवफदेहिता र पारदर्शिताको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा बाधा पर्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५३. | अधुरा आयोजना — आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३६ अनुसार योजनाहरूको भौतिक र वित्तीय पक्षको सामुहिक समीक्षा गर्नुपर्ने र यसरी गरिने समीक्षामा प्रगति कम हुनुका प्रमुख कारणहरू र सोको निमित्त जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने, त्यस्तो समीक्षामा सुधारका लागि चाल्नु पर्ने कदमहरू र जिम्मेवार व्यक्ति उपर गर्नुपर्ने कारबाही समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस कार्यालयले यो वर्ष देहाय अनुसार रु.३८०१२९३ खर्च भएको एक योजनाको कार्य सम्पन्न हुन नसकि जिम्मेवारी सारेको छ। यस प्रकारको दायित्व विगत वर्षहरूको समेत सार्दै आएको छ। यसरी कानून विपरीत सम्झौता गरी वर्षौसम्म पनि सम्पन्न नगरी अधुरो रहन गएको उपयुक्त देखिएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>निर्माण कार्य</th> <th>निर्माण व्यवसायी</th> <th>संभौता मिति</th> <th>सम्पन्न मिति</th> <th>गर्नुपर्ने यो वर्ष सम्मको खर्च</th> <th>वित्तीय प्रगति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जनप्रतिनिधी र कर्मचारी आवास</td> <td>प्रिन्स कन्स्ट्रक्सन</td> <td>२०७७।२।१९</td> <td>२०७८।३।१५</td> <td>२८,०१,२९३</td> <td>३२%</td> </tr> <tr> <td>स्वास्थ्य चौकी वडा नं २</td> <td>गल्लान कन्स्ट्रक्सन</td> <td>१२।२०७७।२०</td> <td>२०७८।१।२५</td> <td>११००००</td> <td>४०%</td> </tr> </tbody> </table> | निर्माण कार्य | निर्माण व्यवसायी | संभौता मिति | सम्पन्न मिति | गर्नुपर्ने यो वर्ष सम्मको खर्च | वित्तीय प्रगति | जनप्रतिनिधी र कर्मचारी आवास | प्रिन्स कन्स्ट्रक्सन | २०७७।२।१९ | २०७८।३।१५ | २८,०१,२९३ | ३२% | स्वास्थ्य चौकी वडा नं २ | गल्लान कन्स्ट्रक्सन | १२।२०७७।२० | २०७८।१।२५ | ११०००० | ४०% | |
| निर्माण कार्य | निर्माण व्यवसायी | संभौता मिति | सम्पन्न मिति | गर्नुपर्ने यो वर्ष सम्मको खर्च | वित्तीय प्रगति | | | | | | | | | | | | | | | |
| जनप्रतिनिधी र कर्मचारी आवास | प्रिन्स कन्स्ट्रक्सन | २०७७।२।१९ | २०७८।३।१५ | २८,०१,२९३ | ३२% | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्वास्थ्य चौकी वडा नं २ | गल्लान कन्स्ट्रक्सन | १२।२०७७।२० | २०७८।१।२५ | ११०००० | ४०% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्फ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५४. | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दर्ता र नवीकरण, लगतकट्टा तथा भत्ता वितरण लगायत यससँग सम्बन्धित विविध व्यवस्थाहरू गरेको छ। यस वर्ष पालिकाले रु.७५५२९२०० सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेकोमा देखिएका व्यहोराहरू देहाय बमोजिम छन्। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५४.१. | वितरण व्यवस्था -सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा १६ मा पालिकाले प्रथम चौमासिक भत्ता असोज १ गतेबाट दोश्रो हप्ताभित्र, दोश्रो चौमासिक माघको १ गतेबाट दोश्रो हप्ताभित्र र तेश्रो चौमासिक जेठको १ गतेबाट दोश्रो हप्ताभित्र भूक्तानी गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा पालिकाले यस वर्ष प्रथम चौमासिकको रकम असोज १०, दोश्रो चैत्र १० र तेश्रो असार १४ गते निकाशा गरेको देखियो। कार्यविधिले तोकेको समयमा नै लाभग्राहीलाई भत्ता वितरण गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५४.२. | निरीक्षण तथा अनुगमन -सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा २७ बमोजिम नेपाल सरकारको संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमित, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले विशेष सूचक बनाइ तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले भत्ता वितरण कार्य प्रक्रियाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएतापनि यस वर्ष सम्बन्धित निकायले कार्यविधि अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको पाइएन। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५४.३. | सार्वजनिक सुनुवाई -सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा ३५ बमोजिम वडा समितिले प्रत्येक चौमासिकमा कम्तीमा एक पटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा सार्वजनिक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | सुनुवाई गर्नुपर्ने उल्लेख भएतापनि सार्वजनिक सुनुवाई गरी जनगुनासो सम्बोधन गरेको छैन । कार्यविधिले तोकेको समयमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------|------------|---------|------------|--------|-----|---------|-----------------|--------------|-----------|-----|-------|------|---|--------|---|---------|-------|-------|--------|---|-------|------|---|-------|---|-------------------|-------|---|--------|---|-------|------|---|-------|--|-------|--|----|---------|---------|
| ५४.४. | <p>सामाजिक सुरक्षा दोहोरो भुक्तानी - सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ बमोजिम केन्द्रिकृत सुचना प्रणालीमा प्रविष्टी गरि अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षाको अख्तियारी पाउने सम्बन्धित स्थानीय निकायको हुने व्यवस्था भएपनि एउटै चौमासिकमा एकै व्यक्तिको नाममा दोहोरो निकास हुने गरेको देखिन्छ । नमुना परिक्षण गर्दा यस गाँउपालिकाका तपसिलका वडाहरूमा एउटै चौमासिकमा एकै व्यक्तिको नाममा दोहोरो भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी भएको असुल गर्नुपर्ने र.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वडा नं</th> <th>नाम</th> <th>किसिम</th> <th>नागरिता नं</th> <th>किस्ता</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३</td> <td>धन कुमारी तामाङ</td> <td>जेष्ठ नागरिक</td> <td>१४३०२६।८०</td> <td>सबै</td> <td>३६०००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>३६०००</td> </tr> </tbody> </table> | वडा नं | नाम | किसिम | नागरिता नं | किस्ता | रकम | ३ | धन कुमारी तामाङ | जेष्ठ नागरिक | १४३०२६।८० | सबै | ३६००० | | | | | जम्मा | ३६००० | ३६००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वडा नं | नाम | किसिम | नागरिता नं | किस्ता | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | धन कुमारी तामाङ | जेष्ठ नागरिक | १४३०२६।८० | सबै | ३६००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | जम्मा | ३६००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५४.५. | <p>छानविन गरी प्रमाण पेश गर्नुपर्ने - सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ बमोजिम केन्द्रिकृत सुचना प्रणालीमा प्रविष्टी गरि अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षाको अख्तियारी पाउने सम्बन्धित स्थानीय निकायको हुने व्यवस्था । साथै सोही कार्यविधिको को दफा १० बमोजिम स्थानीय तहले भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको अनुसुची ५ बमोजिमको मूल अभिलेख अद्यावधिक गरी प्रत्येक वडा कार्यालयमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले देहाय अनुसारको वडाहरूमा निम्नानुसारको संख्यामा लाभग्राहीहरूको नागरिकता नम्बर उल्लेख नगरी प्रविष्टि गरी सबै किस्ताको भत्ता वितरण गरेको हुदा भरपाईमा नाम एउटै भए पनि नाम दोहोरो परेको हो होईन र निज वास्तविक लाभग्राही हो होईन भनी भन्न सक्ने अवस्था रहेन । तसर्थ उक्त लाभग्राहीहरू वास्तविक लाभग्राही हो होईन भनी छानविन गरी लाभग्राही भएमा प्रमाण पेश हुनुपर्ने देखिएको र.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वडा नं</th> <th>वर्ग</th> <th>दर</th> <th>संख्या</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२</td> <td>जे ना अ</td> <td>१२०००</td> <td>९</td> <td>३२४०००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>विधवा</td> <td>८०००</td> <td>६</td> <td>१४४०००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>जे ना अ</td> <td>१२०००</td> <td>९</td> <td>३२४०००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>विधवा</td> <td>८०००</td> <td>२</td> <td>४८०००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>जेष्ठ नागरिक अन्य</td> <td>१२०००</td> <td>७</td> <td>२५२०००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>विधवा</td> <td>८०००</td> <td>२</td> <td>४८०००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>३५</td> <td>११४००००</td> </tr> </tbody> </table> | वडा नं | वर्ग | दर | संख्या | रकम | २ | जे ना अ | १२००० | ९ | ३२४००० | २ | विधवा | ८००० | ६ | १४४००० | ५ | जे ना अ | १२००० | ९ | ३२४००० | ५ | विधवा | ८००० | २ | ४८००० | ३ | जेष्ठ नागरिक अन्य | १२००० | ७ | २५२००० | ३ | विधवा | ८००० | २ | ४८००० | | जम्मा | | ३५ | ११४०००० | ११४०००० |
| वडा नं | वर्ग | दर | संख्या | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | जे ना अ | १२००० | ९ | ३२४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | विधवा | ८००० | ६ | १४४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | जे ना अ | १२००० | ९ | ३२४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | विधवा | ८००० | २ | ४८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | जेष्ठ नागरिक अन्य | १२००० | ७ | २५२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | विधवा | ८००० | २ | ४८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | ३५ | ११४०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५४.६. | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा २५(क) बमोजिम बैंकले लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा भएको स्पष्ट देखिने गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक खाता नं. र जम्मा भएको रकम सहितको विवरण चौमासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई विद्युतीय माध्यममा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्नेमा यो आ.व.मा बैंक मार्फत कारोवार नै गरेको पाइएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५४.७. | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ को दफा ९ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नियमित रूपमा अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ । सो बमोजिम पालिकाले कसैले दोहोरो हुनेगरी र सरकारी सुविधा लिने ब्याक्तिले भत्ता लिए नलिएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिएको देखिएन । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग हुन नदिन पालिका स्तरीय अनुगमन संयत्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै तोकिए बमोजिम भत्ता वितरण र लगत अद्यावधिक गर्ने कार्यमा विशेष ध्यान | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | दिनुपर्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------|----------------------|-------|---|---------|---|--------|----|---|--------|---|--------|------|---|---------|---|--------|------|---|-------|---|--------|------|---|----------|---|--------|----|---|--------|---|--------|----|--|---------|--|
| ५५. | कोरोना कोष तर्फ -कोभीड १९ को व्यवस्थापन गर्न रु.१०९८५००० आम्दानी गरेकोमा विभिन्न कार्यमा रु. १०९२०६६३ खर्च भई रु.६४३३७ मौज्जात रहेको पाइयो। कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा खर्च गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४पालना गरी खर्च गर्नेतर्फ पालिका सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक देखियो। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५६. | पेशकी बाँकी - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४७ मा नियमानुसार पेशकी फछ्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार देहाय अनुसारको पेशकी फछ्यौट गर्नुपर्ने देखिएको रु. | ११४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>पेशकी लिनेको नाम</td> <td>रकम</td> </tr> <tr> <td>स्वास्थ्य चौकी उदयपुरगढी</td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td>जय नारायणा यादव</td> <td>३२०००</td> </tr> <tr> <td>देवकान्त कुमार शर्मा</td> <td>१२०००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td>१४४०००</td> </tr> </table> | पेशकी लिनेको नाम | रकम | स्वास्थ्य चौकी उदयपुरगढी | १००००० | जय नारायणा यादव | ३२००० | देवकान्त कुमार शर्मा | १२००० | जम्मा | १४४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पेशकी लिनेको नाम | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्वास्थ्य चौकी उदयपुरगढी | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जय नारायणा यादव | ३२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| देवकान्त कुमार शर्मा | १२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | १४४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५७. | कन्टिन्जेन्सी खर्च — सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० अनुसूची १ अनुसार कन्टिन्जेन्सी खर्चको व्यवस्था गरेको छ। मिति २०७०।१।१५ को नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार कन्टिन्जेन्सीमध्ये ६०% चालु प्रकृतिको र ४०% पुँजीगत प्रकृतिको खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले कन्टिन्जेन्सी खर्चको लगत राखी नगरी नहुने खर्चमा मात्र कन्टिन्जेन्सीबाट खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५८. | सम्परीक्षण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(२) (घ) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ र ४० अनुसार बेरुजुको लगत राख्ने र फछ्यौट गरी सम्परीक्षण गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने व्यवस्था छ । गाँउपालिकाले बाँकी बेरुजु मध्ये डोर समक्ष सम्परीक्षणको लागि रु ८३६२८७५३ पेश भएकोमा रु. ८३६२८७५३ सम्परीक्षण गरी जानकारी दिईएको छ । डोरमा सम्परीक्षण भएको बेरुजु फछ्यौट को विवरण देहाय बमोजिम छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>आर्थिक वर्ष</th> <th>दफा नं.</th> <th>फछ्यौटको संक्षिप्त व्यहोरा</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>०७४।७५</td> <td>१४</td> <td>लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट</td> <td>१८८११००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>०७४।७५</td> <td>१६</td> <td>लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट</td> <td>७४७५३६</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>०७४।७५</td> <td>१८.१</td> <td>लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट</td> <td>२१३८४४५</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>०७४।७५</td> <td>१८.३</td> <td>लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट</td> <td>८०७३९</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>०७४।७५</td> <td>२२.२</td> <td>लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट</td> <td>४२०२३८८१</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>०७४।७५</td> <td>२६</td> <td>लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट</td> <td>८५१९०७</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>०७४।७५</td> <td>३३</td> <td>लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई</td> <td>६३७८०६३</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | आर्थिक वर्ष | दफा नं. | फछ्यौटको संक्षिप्त व्यहोरा | रकम | १ | ०७४।७५ | १४ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | १८८११०० | २ | ०७४।७५ | १६ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ७४७५३६ | ३ | ०७४।७५ | १८.१ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | २१३८४४५ | ४ | ०७४।७५ | १८.३ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ८०७३९ | ५ | ०७४।७५ | २२.२ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ४२०२३८८१ | ६ | ०७४।७५ | २६ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ८५१९०७ | ७ | ०७४।७५ | ३३ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई | ६३७८०६३ | |
| सि.नं. | आर्थिक वर्ष | दफा नं. | फछ्यौटको संक्षिप्त व्यहोरा | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | ०७४।७५ | १४ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | १८८११०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | ०७४।७५ | १६ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ७४७५३६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | ०७४।७५ | १८.१ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | २१३८४४५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | ०७४।७५ | १८.३ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ८०७३९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | ०७४।७५ | २२.२ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ४२०२३८८१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | ०७४।७५ | २६ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ८५१९०७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | ०७४।७५ | ३३ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई | ६३७८०६३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|----|--------|------|---|-----------|
| | | | फछ्यौट | |
| ८ | ०७४।७५ | ३४ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ३२२२७६ |
| ९ | ०७४।७५ | ४५ | जिन्सी दाखिलाको प्रमाण पेश भई फछ्यौट | ६७७३१३ |
| १० | ०७४।७५ | ४६ | राजश्व दाखिला भई फछ्यौट | ९६८२ |
| ११ | ०७४।७५ | ४७ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | १०८८३८.७५ |
| १२ | ०७४।७५ | ४९ | प्रमाण पेश भई फछ्यौट | ३३३३६० |
| १३ | ०७४।७५ | ५३ | प्रमाण पेश भई फछ्यौट | ५२५००० |
| १४ | ०७४।७५ | ५४ | प्रमाण पेश भई फछ्यौट | ४४४००० |
| १५ | ०७४।७५ | ५६ | प्रमाण पेश भई फछ्यौट | २६१५०० |
| १६ | ०७४।७५ | ५८ | प्रमाण पेश भई फछ्यौट | ४५००० |
| १७ | ०७४।७५ | ५९ | प्रमाण पेश भई फछ्यौट | ५०००० |
| १८ | ०७४।७५ | ६८.१ | प्रमाण पेश भई फछ्यौट | ४८००० |
| १९ | ०७४।७५ | ६८.२ | प्रमाण पेश भई फछ्यौट | १०८६४९.५० |
| २० | ०७४।७५ | ७१ | प्रमाण पेश भई फछ्यौट | १८१४४३ |
| २१ | ०७४।७५ | ७३ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | २४०००० |
| २२ | ०७४।७५ | ७४ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ४५००० |
| २३ | ०७४।७५ | ७८.१ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ७३९८१० |
| २४ | ०७४।७५ | ८६ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ९६९९०० |
| २५ | ०७४।७५ | ९१.१ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ४०४९६०० |
| २६ | ०७४।७५ | १०४ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ४८८१६० |
| २७ | ०७४।७५ | १०५ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ५९६४२५ |
| २८ | ०७५।७६ | १४ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | १४५६४१८ |
| २९ | ०७५।७६ | २६ | रितेश थापाबाट राजश्व दाखिला भई फछ्यौट | २८८० |
| ३० | ०७५।७६ | ३० | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ३५०००० |
| ३१ | ०७५।७६ | ३५ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ५५६०३ |

| | | | | | |
|-----|--|--------|------|---|----------|
| | ३२ | ०७५।७६ | ४० | प्रमाण पेश भई फछ्यौट | १८३०००० |
| | ३३ | ०७५।७६ | ३६.२ | लेखा समिति, कार्यपालिका र सभाबाट नियमित भई फछ्यौट | ३०००००० |
| | ३४ | ०७५।७६ | १९ | प्रदेश संचित कोषमा दाखिला भई फछ्यौट | ९६३२८३ |
| | ३५ | ०७५।७६ | २० | संघीय संचित कोषमा दाखिला भई फछ्यौट | ३३१०४६ |
| | ३६ | ०७५।७६ | २१ | संघीय संचित कोषमा दाखिला भई फछ्यौट | १००००० |
| | ३७ | ०७५।७६ | १० | संघीय संचित कोषमा दाखिला भई फछ्यौट | २०००० |
| | ३८ | ०७५।७६ | ५० | संघीय संचित कोषमा दाखिला भई फछ्यौट | २९५००० |
| | ३९ | ०७५।७६ | ९ | संघीय संचित कोषमा दाखिला भई फछ्यौट | ३९७८२८ |
| | ४० | ०७५।७६ | ४३ | संघीय संचित कोषमा दाखिला भई फछ्यौट | ५५०००० |
| | ४१ | ०७५।७६ | ५४ | पेशकी फछ्यौट | ३१३५८०० |
| | ४२ | ०७५।७६ | २८ | असुल भई फछ्यौट | १२८४७ |
| | ४३ | ०७५।७६ | ६९ | राजस्व दाखिला भई फछ्यौट | २७५२० |
| | ४४ | ०७५।७६ | ३१ | पेशकी फछ्यौट | १८००००० |
| | ४५ | ०७५।७६ | २४ | राजस्व दाखिला भई फछ्यौट | २३५० |
| | ४६ | ०७५।७६ | २८ | असुल भई फछ्यौट | २५५० |
| | ४७ | ०७५।७६ | ४२ | जिन्सी दाखिला प्रमाण पेश भई फछ्यौट | ४५५०००० |
| | ४८ | ०७५।७६ | ४१ | लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश भई फछ्यौट | ४००००० |
| | | | | जम्मा | ८३६२८७५३ |
| ५९. | <p>अनुगमन - गत वर्षको प्रतिवेदनमा आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाई, सेस्ता पेस नभएको, बैङ्क समायोजन, अग्रिम कर, बढी भुक्तानी, अधुरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, कर विजक, सवारी साधन खरिद र ठेक्का स्वीकृति लगायतका व्यहोरा औल्याइएकोमा यो वर्ष पनि सुधार गरेको पाइएन। बेरुजु व्यहोरा पुनरावृत्ति नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</p> | | | | |
| ६०. | <p>सञ्चित कोष र बेरुजुको अघावधिक स्थिति - पालिकाको सञ्चित कोषको स्थिति, बेरुजु वर्गीकरण र बेरुजुको अघावधिक स्थिति क्रमश अनुसुची १, २ र ३ मा रहेको छ ।</p> | | | | |

उदयपुरगढी गाउँपालिका, उदयपुर को सञ्चित कोष विवरण
२०७६।७७

अनुसूची १
(रु.हजारमा)

| स्थानीय तह | जिल्ला | लेखापरीक्षण रकम | बेरुजू रकम | प्रतिशत | आय | | | | | | व्यय | | | | मौज्दात बाँकी |
|-----------------|--------|-----------------|------------|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------|---------|----------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------|
| | | | | | गतवर्षको जिम्मेवारी | संघ तथा प्रदेश अनुदान | राजस्व बाँडफाँट रकम | आन्तरिक आय | अन्य आय | जम्मा आय | चालु खर्च | पूँजीगत खर्च | अन्य खर्च | जम्मा खर्च | |
| उदयपुरगढी गा पा | भोजपुर | ११८१५८७ | ९८०४ | ०.८३ | १०३६४३ | ३८२३२३ | ७०५५१ | २०७६ | १३०६१३ | ५८५५६३ | २८२०१२ | २०६४५३ | १०७५५९ | ५९६०२४ | ९३१८२ |

बेरुजू वर्गिकरण (विनियोजन, राजस्व, धरोटी र अन्य कारोबार)

अनुसूची २

२०७६।७७

(रु.हजारमा)

| स्थानीय तह | जिल्ला | प्रारम्भिक बेरुजू | | | प्रतिक्रियाबाट फर्छ्यौट | | | बाँकी बेरुजू | | | बाँकी बेरुजू | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|--------------|------|------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|-------|----------|------|-------|
| | | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | असुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने | | | | | पेशकी | | |
| | | सैद्धान्तिक | लगती | | सैद्धान्तिक | लगती | | सैद्धान्तिक | लगती | | | अनियमित भएको | प्रमाण कागजात पेश नभएको | राजस्व लागत जिम्मेवारी नसारेको | सोधभर्ना नलिएको | जम्मा | कर्मचारी | अन्य | जम्मा |
| उदयपुरगढी गा पा | भोजपुर | ३६ | ३१ | ४०५९० | १ | ८ | ३०७८६ | ३५ | २३ | ९८०४ | १०१८ | ६९३३ | १७३९ | ० | ० | ८६७२ | १४ | १०० | ११४ |

अघावधिक बेरुजू स्थिति

अनुसूची ३

२०७६।७७

(रु.हजारमा)

| स्थानीय तह | जिल्ला | गत वर्षको अनुसूचीबाट | समायोजन | गत वर्ष सम्मको बाँकी बेरुजू | सं.प.को लागि अनुरोध भइ आएको रकम | संपरीक्षण भएको रकम | संपरीक्षण गर्न नमिलेको रकम | कारवाही गर्न बाँकी रकम | गत वर्षसम्मको बाँकी रकम | यो वर्षको थप रकम | ५८ औँ प्रतिवेदन सम्मको बाँकी बेरुजू | ५८ औँ प्रतिवेदन सम्मको बाँकी बेरुजू मध्ये पेशकी |
|------------|--------|----------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---|
| उदयपुरगढी | उदयपुर | १०१०३६ | १ | १०१०३७ | ८३६२८ | ८३६२८ | ० | ० | १७४०९ | ९८०४ | २७२१३ | ४०३ |